राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

यह प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक रूप में यहां उपलब्ध है: www.nbaindia.org

के द्वारा प्रकाशित:

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

5वीं मंजिल, टाइसल बायो पार्क,

सीएसआईआर रोड, तरमणि, चेन्नई–600113

दूरभाष:91–44–22541805 फैक्स:91–44–22541073

ईमेल:chairman@nba-nic-in

सभी प्राकृतिक तस्वीरों के लिए क्रेडिट

डॉ. एस. राजेश कुमार

डिस्क्लेमर – कॉपी राइट

कॉपी राइट© राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस प्रकाशन का कोई भी भाग किसी भी माध्यम से पुन: प्रस्तुत या प्रसारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकाशन के संबंध में किसी भी अनधिकृत कार्य में शामिल कोई भी व्यक्ति आपराधिक अभियोजन और क्षति के लिए नागरिक दावों के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

एनबीए द्वारा 2021 में प्रकाशित

jk"Vªh; tSo fofo/krk çkf/kdj.k

okf"kZd fjiksVZ

2020 - 2021

मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और
श्रम एवं रोज़गार
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND
LABOUR AND EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV

lans'k

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए स्थापित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक वैधानिक निकाय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है।

भारत के लिए, जैव विविधता का संरक्षण न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक अनेक सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि इसलिए भी कि यह लाखों स्थानीय लोगों के लिए आजीविका प्रदान करने और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार के साथ सीधे जुड़ा हुआ है, जिससे सतत विकास और गरीबी उन्मूलन दोनों में योगदान होता है। ।

कानूनी और नीतिगत व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के मामले में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में भी उभर रहा है। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 का अधिनियमन जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के लिए भारत की एक प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी), केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद (यूटीबीसी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की स्थापना के माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर निर्वाचित निकायों द्वारा स्थापित, तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से अधिनियम को लागू किया गया है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सभी 28 एसबीबी और सभी 8 यूटीबीसी अब स्थापित हो चुके हैं।

भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जैव विविधता संरक्षण का लाभ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों को मिले। विकास के सभी प्रमुख क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण को मुख्यधारा में लाना और मानव कल्याण तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना हमारी शासन रणनीति का मुख्य 'मंत्र' बना रहेगा।

मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रिपोर्ट पर व्यापक ध्यान दिया जाएगा और विभिन्न विशेषज्ञों के फ़ीडबैक से अपने अधिदेश को पूरा करने में आगे मदद मिलेगी।

¼HkwisUæ ;kno½

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

l n'k

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं निस्संदेह पृथ्वी पर जीवन और मानव अस्तित्व का आधार हैं। हमारी प्राकृतिक संपदा हमारे आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा का आधार है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भारतीय लोकाचार और संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो लोगों के दैनिक जीवन के हर पहलू में धार्मिक प्रथाओं, लोकगीतों, कला और संस्कृति में परिलक्षित होता है। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है।

इसलिए जैव विविधता का संरक्षण एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। विकासात्मक गतिविधियों, बढ़ते शहरीकरण के साथ–साथ भारत के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले बढ़ते जैविक दबावों के कारण पर्यावरणीय गिरावट के बावजूद, हमारे देश में जैविक विविधता को रक्षित करने, सुरक्षित करने और संरक्षित करने की विरासत है जो अपने लोगों के लाभ हेतु और देश, दुनिया मानव और मानव जाति के कल्याण के लिए देश बडे पैमाने पर संभालकर रखता है।

यह वार्षिक रिपोर्ट जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अधिनियमन के माध्यम से देश में स्थापित सहभागिता जैव विविधता शासन मॉडल पर प्रकाश डालती है। इस अधिनियम की एक अनूठी विशेषता देश भर में प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन है। वर्तमान में पूरे भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2,76,160 बीएमसी स्थापित हैं, जिनका उद्देश्य जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देना और सहयोगी पारंपरिक ज्ञान का विस्तार करना है। हमें बीएमसी को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्डों, संघ शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को देश की जैविक संपदा की रक्षा और संरक्षण के उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं।

मुझे विश्वास है कि यह वार्षिक रिपोर्ट जैव विविधता के संरक्षण से जुडे हुए सभी हितधारकों के लिए उपयोगी होगी।

lok o r= thofr xkj'p% i#"k% i'k% ।
;=n cã fØ;r ifjfèk tÊou; de :॥

(अश्विनी कुमार चौबे)

लीना नन्दन
LEENA NANDAN

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE

çLrkouk

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है, जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे के तहत सलाहकार, सुविधा और नियामक कार्य कर रहा है। यह रिपोर्ट वर्ष 2020–21 के दौरान भारतीय जैव–संसाधनों के संरक्षण और जैव–संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारे के लिए आम नागरिकों को कानूनी निश्चितता प्रदान करने के लिए एनबीए द्वारा की गई गतिविधियों का एक वार्षिक विवरण है।

इस अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा, पानी की उपलब्धता, मानव स्वास्थ्य और देश की सभी पारिस्थितिक अखंडता को सुनिश्चित करने में जैव विविधता के महत्व को पहचानने के अपने निरंतर प्रयासों के अनुसरण में एनबीए ने विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी की। महामारी के बावजूद, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए सराहनीय प्रयास किए, जिसमें अन्य बातों के साथ, जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन, लोक जैव विविधता रजिस्टरों की तैयारी और डिजिटलीकरण, जैविक विरासत स्थलों की पहचान और अधिसूचना और जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों को साझा करना शामिल है।

मुझे विश्वास है कि यह वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2020–21 के दौरान एनबीए द्वारा की गई विविध गतिविधियों की एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करेगी, जो जैविक विविधता अधिनियम के सफल कार्यान्वयन में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

¼yhuk unu½

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110 003 फोन: (011) 24695262, फैक्स: (011) 24695270
INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003, Ph.: 011-24695262, Fax: 011-24695270
E-mail : secy-moef@nic.in, Website : moef.gov.in

बी.वी. उमादेवी
अपर सचिव
B.V. UMADEVI
Additional Secretary

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

çLrkouk

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) सीबीडी के तीसरे लक्ष्य अर्थात भारतीय मूल के जैविक संसाधनों के उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली पहुंच और लाभ साझा करना को पूरा करने में लगातार सबसे आगे रहा है। एनबीए ने एक्सेस एंड बेनिफिट–शेयरिंग क्लियरिंग–हाउस (एबीएससीएच) के अंतर्गत किए गए सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) को प्राप्त करने में जनवरी 2022 तक 71%(3320 आईआरसीसी की वैश्विक गणना में से 2361 आईआरसीसी) का योगदान दिया है, जो लाभ पर जानकारी का आदान–प्रदान साझा करने के लिए एक वैश्विक मंच है। आईआरसीसी नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीबीडी के तीसरे लक्ष्य को मजबूत करना है, जो आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग पर लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण करता है।

जबकि एनबीए प्राप्त आवेदनों को संसाधित करने में सावधानी बरत रहा है, इसने भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कार्यालयों में पेटेंट आवेदनों की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। एनबीए उन पेटेंट आवेदनों की निगरानी करता है जो मासिक आधार पर प्रकाशित होते हैं जिससे कि ऐसे आवेदनों की स्क्रीनिंग की जा सके जिन्होंने भारतीय मूल के जैविक संसाधनों का उपयोग किया है।

लाभ–साझाकरण अनुप्रयोगों को संसाधित करने के कार्य के अलावा, एनबीए कई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने में सहभागी रहा है, जिसकी देश भर के युवाओं और छात्रों द्वारा खूब प्रशंसा की गई है।

एनबीए–यूएनडीपी जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम (बीएसआईपी) भविष्य के संरक्षणवादियों को ढालने का एक बहुत ही सफल प्रयास रहा है, जो न केवल एनबीए संचालन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित हैं, बल्कि अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद अपने संबंधित संस्थानों को लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा में और

संरक्षण, स्थिरता के संदेश को आगे बढ़ाने में एनबीए के राजदूत के रूप में भी काम करते हैं।

मुझे विश्वास है कि एनबीए हमारे देश के अद्वितीय जैविक संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और निगरानी में राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर योगदान देना जारी रखेगा।

¼ch- mek noh½

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110 003, फोन : (011) 24695266, फैक्स : (011) 24695276
INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003, TEL. : (011) 24695266, FAX : (011) 24695276
E-mail : asud.moefcc@gov.in / Website : moef.gov.in

प्रस्तावना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की रिपोर्टिंग अवधि 2020–2021 की वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने रखते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, जिसके दौरान जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और संबंधित कानूनी साधनों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयासों ने और गति पकड़ी।

माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार द्वारा 11–12 दिसंबर, 2020 को राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों की 15वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया गया। इस बैठक में देश भर में जैविक विविधता के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की गई और एसबीबी तथा यूटीबीसी द्वारा किए जाने वाले संकेंद्रित हस्तक्षेपों के लिये सिफारिश की गई।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईबीडी) 2020 पर माननीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जैव विविधता और जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर एनबीए–एमओईएफसीसी–यूएनडीपी की वर्ष भर चलने वाली वेबिनार श्रृंखला का किया गया। एनबीए ने 5 जून, 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए यूनेस्को–भारत और सुरभि फाउंडेशन के साथ भागीदारी की और 'पॉकेट्स ऑफ होप कोविड–19 एंड द रोल ऑफ द वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स नेटवर्क' पर एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की। इन वेबिनार श्रृंखलाओं में समग्र रूप से भाग लिया गया और यह वेबिनार श्रृंखला विशेष रूप से युवाओं के बीच संरक्षण के मुद्दों के बारे में अधिक मात्रा में जागरूकता बढाने में सक्षम रही है।

एनबीए ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विशेष रूप से जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के सचिवालय और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (आईपीबीईएस) पर अंतर सरकारी मंच द्वारा आयोजित बैठकों में भागीदारी के माध्यम से अपनी तकनीकी जानकारी प्रदान करने का कार्य जारी रखा।

मुझे बड़ी संख्या में हितधारकों और पेशेवरों और विशेष रूप से माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, एमओईएफसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों, प्राधिकरण के सदस्यों, राज्य वन विभागों, एसबीबी और यूटीबीसी के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों और विभिन्न एनबीए समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए, जिसने एनबीए को अपने जनादेश और सौंपे गए कार्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, के लिए एनबीए की गहरी प्रशंसा और कृतज्ञता रिकार्ड करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं एनबीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी, विशेष रूप से कोविड–19 महामारी की कठिन अवधि के दौरान, उनके बहुमूल्य प्रयासों के लिए अपनी प्रशंसा रिकार्ड करता हूं।

चेन्नई

¼M,- fo-fc- ekFkj½
अध्यक्ष, एनबीए

अभिस्वीकृति

वर्ष 2020–21 के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार संकलित की गई है। रिपोर्ट में विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में एनबीए की गतिविधियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

मैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिये धन्यवाद देता हूं। वे इस रिपोर्ट को तैयार करने के कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रेरणा और समर्थन के स्रोत रहे हैं।

मैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की गतिविधियों को निरंतर समर्थन देने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एनबीए को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने और विभिन्न परियोजना आधारित गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को धन्यवाद देता हूं जो एनबीए सचिवालय की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बहुमूल्य सहायता और सलाह प्रदान कर रहे थे।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट को संकलित करने में राज्य जैव विविधता बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की पूरक भूमिका के लिए कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। मैं एनबीए की विस्तृत लेखापरीक्षा करने और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक लेखापरीक्षा) को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं एनबीए सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक रिपोर्ट को संकलित करने और प्रकाशित करने के प्रयासों की तहे दिल से सराहना करता हूं।

जे जेस्टीन मोहन

¼t- tfLVu ekgu] vkbZ,Q,l½

सचिव

अंतर्वस्तु

v/;k;	fo"k;	i"B l[;k
	कार्यकारी सारांश	1
1	प्रस्तावना	5
2	प्राधिकरण, संबंधित सांविधिक निकायों का गठन और कार्य	7
3	प्राधिकरण की बैठकें	13
4	प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां और उनकी गतिविधियां	19
5	जैविक संसाधनों तक पहुंच और उचित तथा समान लाभ साझा करने के लिए गतिविधियों को विनियमित करना	21
6	जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 6 में निर्दिष्ट गतिविधियों को करने के लिए दिया गया अनुमोदन	25
7	आनुवांशिक संसाधनों और संबंधित ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किये गये उपाय	29
8	जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति	31
9	बौद्धिक संपदा अधिकार और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 से संबंधित जागरूकता और सार्वजनिक भागीदारी	33
10	जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38 और 64 के तहत विनियम जारी	41
11	वित्त एवं लेखा	43
12	2021–2022 के लिए वार्षिक योजना	47
13	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां	49
	vuqyXud	
1	प्राधिकरण के अध्यक्ष	75
2	संगठन चार्ट	76
3	भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या	77
4	सिटिजन चार्टर	78
5	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	81

कार्यकारी सारांश

जैविक विविधता या संक्षिप्त जैव विविधता शब्द पृथ्वी पर उसके सभी स्तरों पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है जिसमें जीनस से लेकर पारिस्थितिक तंत्र तक शामिल है और जीवन को बनाए रखने वाली विकासवादी, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को भी शामिल करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को बढ़ाता है जहां प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल मनुष्य के लिए बल्कि सभी जीवित प्राणियों के निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है। यह इन क्षेत्रों पर केंद्रित प्रमुख नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सभी देशों से तत्काल ध्यान और कार्रवाई की मांग करता है।

रियो डी जनेरियो में आयोजित 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान पर्यावरण और विकास (UNCED) के संरक्षण, जैविक विविधता के लाभों के साझाकरण, स्थायी उपयोग और निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप,भारत ने 2002 में जैविक विविधता अधिनियम (BD) अधिनियम लागू किया और 2004 में जैविक विविधता नियमों को अधिसूचित किया। बीडी अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना का गठन किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) स्थापित किया गया था जो शीर्ष स्थान पर है और जिसका मुख्यालय चेन्नई में है तथा बीडी अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम श्रेणी के रूप में लागू करता है। दूसरी और तीसरी श्रेणी में राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) गठित हैं और स्थानीय स्तर पर जैव (BMC) विविधता प्रबंधन समितियां गठित हैं।

एनबीए जैविक संसाधनों की पहुंच के लिए गतिविधियों और दिशानिर्देशों को नियंत्रित करता है और जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के समान साझाकरण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

एनबीए, भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में एक समर्पित और लक्ष्य उन्मुख योजना का पालन कर रहा है। रिपोर्टिंग अवधि 2020–21 के दौरान प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है और यहाँ संक्षिप्त रूप से वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है।

प्राधिकरण ने 2020–21 की अवधि के दौरान, पांच बार बैठकें की और विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया और बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार कार्रवाई शुरू करने और लागू करने के लिए एनबीए सचिवालय को निर्देश दिया और सलाह दी।

एनबीए ने तीन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है–नामत: पहुंच और लाभ साझाकरण पर विशेषज्ञ समिति (EC on ABS), जैविक विविधता नियमों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति, नागोया प्रोटोकॉल के तहत उपयोगकर्ता देश के उपाय और क्षेत्र विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं के विकास पर विशेषज्ञ समिति

और जैव विविधता अधिनियम और नियमों में मुद्दों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति जो इनमें आवश्यक परिवर्तन और संशोधन प्रस्तावित करती है।

एबीएस विशेषज्ञ समिति ने तीन बार बैठकें की और पहुंच और लाभ साझाकरण पर 379 आवेदनों का मूल्यांकन किया और प्राधिकरण को सिफारिशें प्रदान कीं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अनुसंधान / व्यावसायिक उपयोग, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकारों और तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए जैविक संसाधनों की पहुंच से संबंधित 952 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 2592 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एनबीए को 2020–2021 के दौरान लाभ–साझाकरण घटक के रूप में रू.8,40,98,477 की राशि मिली, जिसमें अग्रिम भुगतान, वाणिज्यिक उपयोग और रॉयल्टी आदि शामिल हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान एनबीए ने एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में 1787 अनुमोदित स्वीकृतियों का विवरण अपलोड किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लेंट्स (ABS CH) का निर्माण करता है।

बीडी अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) की स्थापना और स्थानीय स्तर पर राज्यों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का गठन करके शुरू किया गया था। 29 एसबीबी में से, अब तक 26 एसबीबीने अपने राज्य नियमों को अधिसूचित किया है। 2020–21 के अंत तक 2,73,451 बीएमसी का गठन किया गया है और देश भर में 2,48,156 पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) तैयार किए गए हैं।

अपनी स्थापना के बाद से, एनबीए ने 29 राज्यों में एसबीबी के निर्माण का समर्थन किया है और स्थापना की सुविधा प्रदान की है और पूरे देश में 2,48,156 जैव विविधता रजिस्टर (PBR) तैयार किए गए हैं। इस वर्ष, बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र में तीन जैव विविधता विरासत स्थलों (BHS) को अधिसूचित किया गया है। एनबीए ने संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुदान सहायता द्वारा लगभग सभी एसबीबी को वित्तीय सहायता प्रदान की है। एनबीए ने वर्ष 2020–21 के दौरान आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पीयर–टू–पीयर लर्निंग एक्सचेंज विजिट, ज्ञान सामग्री का मुद्रण और प्रसार, विषयगत विशेषज्ञ समिति के गठन और संबंधित राज्यों के लिए वेबसाइट रखरखाव के घटकों के रूप में लगभग सभी एसबीबी को वित्तीय सहयता प्रदान किया है। राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को समझने और उन पर चर्चा के लिए एसबीबी की मासिक समीक्षा बैठकें बुलाई गईं।

राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (UTBCs) की 15 वीं राष्ट्रीय बैठक जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (BD Act) को लागू करने और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की इस प्रक्रिया में एनबीए के प्रयासों में की गई प्रगति पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल मोड में 11–12 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया गया। एसबीबी और यूटीबीसी के विशेष आमंत्रितों, अध्यक्षों और सदस्य सचिवों, सरकारी और गैर–सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों, एनबीए की विशेषज्ञ समितियों और कार्यकारी समूहों के सदस्यों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) और एनबीए के अधिकारियों सहित 150 से अधिक प्रतिभागियों ने इस दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। बैठक में माननीय न्यायमूर्ति,

के. रामकृष्णन, दक्षिणी पीठ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भी भाग लिया। दो दिवसीय बैठक में सभी विशेषज्ञ समितियों और कार्य समूहों से उनके अब तक किए गए प्रयासों के बारे में विचार–विमर्श किया गया, जिसमें प्रत्येक समिति द्वारा एनबीए को प्रदान की गई सिफारिशें भी शामिल थीं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बैठक को बीएमसी गठन की प्रगति और स्थिति और माननीय एनजीटी द्वारा निर्देशित कार्यों को पूरा करने में पीबीआर की तैयारी के बारे में अवगत कराया। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने हाल के वर्ष में बीडी अधिनियम को लागू करने के लिए की गई गतिविधियों, दृष्टिकोणों के बारे में भी जानकारी दी।

एनबीए ने यूएनडीपी, भारत के साथ साझेदारी में 22 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2020 को बहुत विस्तृत तरीके से और वर्चुअल मोड में मनाया। इसका उद्घाटन श्री. प्रकाश जावड़ेकर, माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में किया गया। एमओईएफसीसी के माननीय मंत्री ने एनबीए–यूएनडीपी जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम और जैव विविधता और जैविक विविधता अधिनियम, 2002श पर वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया। अध्यक्ष, एनबीए ने कोविड–19 और एक–स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर पैनल चर्चा का संचालन किया। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस, 2020 का उत्सव मनाने के लिए एनबीए ने यूनेस्को–भारत, टेरी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और सुरभि फाउंडेशन के साथ मिलकर बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क पर एक प्राकृतिक टेलीविजन श्रृंखला पॉकेट्स ऑफ होप लॉन्च किया और सुंदरवन, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पर चार वेबिनार का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान एनबीए द्वारा मनाए गए अन्य महत्वपूर्ण दिनों में एनबीए का 17वां स्थापना दिवस, हिंदी दिवस, सतर्कता सप्ताह आदि शामिल हैं।

वर्ष 2020–21 की इस वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक लेखा और 2020–21 के लिए वार्षिक योजना को भी शामिल किया गया है।

अध्याय 1

çLrkouk

जैविक विविधता या संक्षिप्त में जैव विविधता शब्द पृथ्वी पर उसके सभी स्तरों पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है जिसमें जीनस से लेकर पारिस्थितिक तंत्र तक शामिल है, और जीवन को बनाए रखने वाली विकासवादी, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को भी शामिल करता है। इसमें न केवल ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें हम दुर्लभ, संकटग्रस्त या लुप्तप्राय मानते हैं, बल्कि हर जीवित चीज–मनुष्य से लेकर जीवों तक, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनमें रोगाणु, कवक और अकशेरुकी शामिल हैं।

भारत अपनी अनूठी स्थलाकृतिक विशेषताओं के साथ, विविध जैविक रूप से समृद्ध स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों को आश्रय देता है। विश्व के विशाल विविध देशों में भारत का विश्व में 8वां और एशिया में चौथा स्थान है। भारत पारंपरिक फसल किस्मों का आवास भी है, जो फसल पौधों की विविधता के 12 क्षेत्रों में पहले स्थान पर है और कृषि प्रजातियों के योगदान में सातवें स्थान पर है। विश्व स्तर पर, भारत फसल पौधों की उत्पत्ति और विविधता के लिए आठवां स्थान रखता है, क्योंकि इसमें 300 से अधिक जंगली पूर्वज और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले पौधों की करीबी किस्में हैं। उल्लेखनीय है कि स्वदेशी स्वास्थ्य प्रथाओं में लगभग 9,500 पौधों की प्रजातियों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, स्थानीय और स्वदेशी लोग 3,900 से अधिक पौधों की प्रजातियों का उपयोग भोजन, फाइबर, चारा, कीटनाशक और कीटनाशक, गोंद, रेजिन, रंग, इत्र और लकड़ी के रूप में करते हैं।

भारत जीवों में भी समृद्ध है और दर्ज की गई उभयचर प्रजातियों में से लगभग 62 प्रतिशत भारत के लिए स्थानिक हैं जो प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। निरंतर सर्वेक्षण और अन्वेषण के माध्यम से नई प्रजातियों की कई खोजों के साथ पुष्प और जीव विविधता दोनों की सूची को उत्तरोत्तर अद्यतन किया जाता है।

कोविड–19 महामारी ने सभी स्तरों पर जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र सहित लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसने कुल लॉकडाउन के कारण संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करने और संरक्षण कार्यक्रमों को चलाने में असमर्थता पैदा की है, लेकिन इस पर अल्प वायुमंडलीय प्रदूषण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों के लिए जैविक संसाधन महत्वपूर्ण हैं। यह विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जहां कुछ आबादी अभी भी स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर भोजन, पोषण और आर्थिक निर्वाह के लिए निर्भर करती है और जहां पारंपरिक उपचार पद्धतियां स्थानीय जैव संसाधनों का उपयोग करती हैं। हालाँकि, भारत की बढ़ती जनसंख्या, तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगीकरण के कारण जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अत्यधिक दबाव है। परिणामस्वरूप, प्राकृतिक आवासों का विनाश और विखंडन होता है, जो पारिस्थितिकी और उसके निवासियों को बदल देता है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होती है।

एनबीए केंद्र सरकार को जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और समान साझाकरण से संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है। यह गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है और जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करता है। इसी तरह, एसबीबी राज्य सरकारों को जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है। बीएमसी पर्यावासों के संरक्षण, भूमि के संरक्षण, लोक किस्मों और किस्मों, पालतू जानवरों और जानवरों और सूक्ष्मजीवों की नस्लों सहित जैविक विविधता के संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं।

अध्याय 2

çkf/kdj.k] lkfof/kd fudk; dk xBu vkj dk;l

2-1- jk"Vh; tio fofo/krk çkf/kdj.k dh lajpuk

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो जैव विविधता के स्थायी प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव धारक एक प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के दस पदेन सदस्य और पांच गैर–सरकारी सदस्य होते हैं जो जैव विविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ होते हैं।

2-1-1- chMh vf/kfu;e dh /kkjk 8 dh mi&/kkjk ¼4½ d [kM ¼,½ d rgr fu;qä v/;{k

इस अवधि के दौरान, अध्यक्ष डॉ. वि. बि. माथुर, एक प्रसिद्ध वन्यजीव जीव विज्ञानी और पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, संरक्षित क्षेत्रों पर आईयूसीएन–विश्व आयोग के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष (डब्ल्यूसीपीए–दक्षिण एशिया) और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट (आईएआईए) के सदस्य हैं। वह यूएन–सीबीडी और यूएन–आईपीबीईएस के ब्यूरो सदस्य भी हैं।

2-1-2- chMh vf/kfu;e dh /kkjk 8 dh mi&/kkjk ¼4½ d [kM ¼ch½ d rgr fu;qä ,evkbl,Q,Mlhlh vkj tutkrh; ekeyk d e=ky; dk çfrfuf/kRo dju okys inu lnL;

केंद्र सरकार द्वारा तीन पदेन सदस्यों को नियुक्त किया जाता है अर्थात दो एमओईएफ और सीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अतिरिक्त महानिदेशक–वन और भारत सरकार के संयुक्त सचिव हैं और एक संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का अधिकारी जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2-1-3- chMh vf/kfu;e dh /kkjk 8 dh mi&/kkjk ¼4½ d [kM ¼lh½ d rgr fu;qä vU; inu lnL;

केंद्र सरकार सात अन्य पदेन सदस्यों की नियुक्ति करती है जो संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी के पद पर हैं और इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे दृ

- कृषि अनुसंधान और शिक्षा
- जैव प्रौद्योगिकी
- समुद्र विकास
- कृषि और सहकारिता
- चिकित्सा और होम्योपैथी की भारतीय प्रणाली
- विज्ञान और तकनीक
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

2-1-4- cMh vf/kfu;e dh /kkjk 8 dh mi&/kkjk ¼4½ d [kM ¼Mh½ d rgr fu;ä xj&ljdkjh lnL;

वैज्ञानिकों और उद्योग के प्रतिनिधियों, संरक्षणवादियों और जैविक संसाधनों के ज्ञान धारकों के बीच पांच गैर–आधिकारिक सदस्यों को चुना जाता है, जो जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान बंटवारे से संबंधित मामलों में ध्वनि ज्ञान और अनुभव रखते हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संरचना नीचे तालिका 1 में दी गई है।

rkfydk 1: jk"Vh; tо fofo/krk çkf/kdj.k d lnL;

Øekd	inu lnL;	
1	जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का अधिकारी	Jherh vkj t ;k] vkbZ,,l] कमरा नंबर 736, ए–विंग, 7वीं मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001
2	अपर महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	Jh lkfe= nklxIrk] अपर महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110 003
3	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव	M,- lqthr dqekj ckt iš;h सह सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110 003
4	कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि मंत्रालय में विषय से संबंधित संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	lq;ä lfpo ¼ch t½ कृषि और सहकारिता विभाग, कमरा नंबर 244, कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110 001
5	जैव प्रौद्योगिकी विभाग में विषय से संबंधित संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	ofj"B lykgdkj] जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर 2, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003

6	संयुक्त सचिव या समुद्र विकास विभाग में इस विषय से संबंधित समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	M,- ,e-,- vkRekkun निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, वेलाचेरी – तांबरम मेन रोड, पल्लीकरनई, चेन्नई, तमिलनाडु 600100 (30 सितंबर, 2020 तक) M,- ,e-oh- jeukefr] निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर), एनआईओटी कैंपस, वेलाचेरी – तांबरम मेन रोड, पल्लीकरनई, चेन्नई, तमिल नाडु –600100 (1 अक्टूबर 2020–वर्तमान)
7	संयुक्त सचिव या भारत सरकार के समकक्ष रैंक का एक अधिकारी जो कृषि और सहकारिता विभाग में इस विषय से संबंधित है	mi egkfun'kd ¼Qly foKku½ फसल विज्ञान विभाग, भाकृअनुप, कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
8	भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	M, t ,y ,u 'kkL=h मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरी मंजिल, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली 110 023
9	संयुक्त सचिव या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष रैंक के अधिकारी	M, l t ; dekj निदेशक , हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश 176 061
10	संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष के एक अधिकारी	M, vf[ky'k xIrk] वैज्ञानिक जी, प्रमुख योजना, समन्वय और प्रदर्शन प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली 110 016

	xj&ljdkjh lnL;
1	M,- ,e-,e- dêh ¼vkb,,l lokfuoÙk½ 14/6, ऑफिसर्स फ्लैट्स, तिलक मार्ग, नई दिल्ली (5 नवंबर, 2020 तक) Jh- lh vpyæ jìh] vkb,Q,l ¼lokfuoÙk½ निदेशक, सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना (6 नवंबर, 2020–वर्तमान)
2	M,- t,;dekj erbl y'kjke] प्रोफेसर और डीन, कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर
3	çk- mÙur ih- ifMr डीन, अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंधन और उद्यमिता स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), आईपी, नवाचार और उद्यमिता के प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली
4	M, vydk jko] प्रधान वैज्ञानिक, लैब #P206, GNR प्रोटीन सेंटर सीएसआईआर– माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर–आईएमटेक), चंडीगढ़ – 160036
5	Jh- ,e,l p=] निदेशक और फेलो, आरोही, बैंगलोर

2-2- ,uch, dk dk;l

- जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।
- बीडी अधिनियम 2002 की धारा 3, 4 और 6 के अनुसार गतिविधियों को विनियमित करना और जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान और निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करना। (कुछ व्यक्तियों/नागरिकों/संगठनों को जैविक संसाधनों और/या उपयोग के लिए संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनबीए की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है)।
- भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन या भारत से अवैध रूप से प्राप्त ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान पर भारत के बाहर किसी भी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करना।

- विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन में राज्य सरकारों को सलाह देना और उनके प्रबंधन के लिए उपाय सुझाना।
- जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना जो जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

2-3- jkT; t|o fofo/krk ckM (SBBs)

एसबीबी की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाती है। एनबीए केंद्र शासित प्रदेशों में एक एसबीबी की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है। एनबीए अपनी सभी या कोई भी शक्ति या कार्य ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को सौंप सकता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। एसबीबी में एक अध्यक्ष, संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच पदेन सदस्य और जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा का अनुभव रखने वाले पांच विशेषज्ञ शामिल हैं।

2-3-1- ,lchch d dk;l

- केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अधीन राज्य सरकारों को जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे से संबंधित मामलों में सलाह देना।
- भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के अनुरोध को मंजूरी देकर या अन्यथा विनियमित करना।
- अधिनियम के प्रावधानों या राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित के अनुसार अन्य आवश्यक कार्य करना।

2-4- t|o fofo/krk çc/ku lfefr;k (BMCs)

बीडी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जैविक विविधता के संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए बीएमसी का गठन कर सकते हैं जिसमें आवासों का संरक्षण, भूमि का संरक्षण, लोक किस्मों और किस्मों, पालतू स्टॉक और नस्लों का संरक्षण शामिल है। जानवरों और सूक्ष्मजीवों की संख्या और जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का जीर्णोद्धार शामिल है। प्रत्येक बीएमसी में एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा नामित छरू व्यक्ति होते हैं जिनमें एक तिहाई महिलाएं होती हैं और 18 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के होते हैं। मार्च 2021 के अनुसार, पूरे भारत में 2,73,451 बीएमसी हैं।

2-4-1- ch,elh ds dk;Z

- स्थानीय लोगों के परामर्श से जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करना, उसका रखरखाव और अधिप्रमाणन करना।
- अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या एनबीए द्वारा संदर्भित किसी भी मामले पर सलाह देना।
- जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों और चिकित्सा चिकित्सकों के बारे में डेटा अनुरक्षित करना।

2-5- dsUæ vkSj jkT; ljdkjksa dh Hkwfedk

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करना।
- जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का विकास करना।
- अति प्रयोग, दुरुपयोग या उपेक्षा से खतरे में पड़े जैव–विविधता संपन्न आवासों के संरक्षण के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करना।
- प्रासंगिक क्षेत्रीय या क्रॉस–सेक्टोरल योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग का एकीकरण। एनबीए द्वारा अनुशंसित जैविक विविधता से संबंधित स्थानीय लोगों के ज्ञान का सम्मान और संरक्षण करने का प्रयास करना।
- पर्यावरण और जैव विविधता पर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना और संरक्षण पर जीवित संशोधित जीवों के उपयोग रिलीज के जोखिम या प्रतिकूल प्रभाव को विनियमित, प्रबंधित या नियंत्रित करना और जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य के सतत उपयोग के बीच की कड़ी का अध्ययन करना।
- केंद्र सरकार, एनबीए के परामर्श से,
  - संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचित करें और उनके संग्रह, पुनर्वास और संरक्षण को प्रतिबंधित या विनियमित करेगी।
  - जैविक संसाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए संस्थानों को भंडार के रूप में नामित करेगी।
  - सामान्य रूप से वस्तुओं के रूप में कारोबार किए जाने वाले कुछ जैविक संसाधनों से छूट देगी।
- राज्य सरकारें, स्थानीय निकायों के परामर्श सेजैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित करती हैंऔर सभी विरासत स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बनाती हैं (केंद्र सरकार के परामर्श से) और प्रभावित लोगों के मुआवजे/पुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू करती हैं।

अध्याय 3

çkf/kdj.k dh cBdsa

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राधिकरण ने पांच बार बैठकें की और एनबीए सचिवालय को बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार कार्रवाई करने की सलाह दी। इसके अलावा, प्राधिकरण ने एबीएसपर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ एबीएस अनुप्रयोगों पर विचार किया, निर्णय दिया और एनबीए सचिवालय को सलाह दिया। कार्यसूची पर चर्चा की गई और आयोजित बैठकों के परिणाम नीचे दिए गए हैं।

3-1- çkf/kdj.k dh 56oh cBd

प्राधिकरण (शासी निकाय) की 56 वीं बैठक 23 और 30 जून 2020 को वर्चुअल मोड में डॉ वि.बि. माथुर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।बैठक में जिन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा हुई, जिन पर विचार किया गया और जो निर्णय लिये गये वे इस प्रकार हैं

- विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की जांच करने के बाद, प्राधिकरण ने अध्यक्ष को बीडी नियम, 2004 में प्रस्तावित मसौदा संशोधनों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।
- प्राधिकरण ने एनबीए को आयुष मंत्रालय के अधिकारियों और वैज्ञानिक समुदाय के साथ अलग–अलग बैठकें बुलाने का निर्देश दिया, ताकि व्यवसाय करने में आसानी और अनुसंधान के लिए उनके प्रस्तावों की जांच की जा सके।
- प्राधिकरण के सदस्यों ने एसबीबी/यूटीबीसी के साथ निकट समन्वय में एमओईएफसीसी और एनबीए द्वारा बीएमसी के गठन और पीबीआर की तैयारी को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।
- प्राधिकरण के सदस्यों ने विशेषज्ञ समितियों के गठन और समिति के कार्यकाल के विस्तार की पुष्टि की। सदस्यों ने कृषि–जैव विविधता पर विशेषज्ञ समिति की संरचना के लिए भी सहमति दी।
- प्राधिकरण ने 58 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव का समर्थन किया और एनबीए को इसे आगे की कार्रवाई के लिए एमओईएफसीसी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
- प्राधिकरण ने एनबीए को सभी 58 पदों के लिए प्राथमिकता के आधार पर मसौदा भर्ती नियम विकसित करने का भी निर्देश दिया।
- सदस्यों ने एनबीए द्वारा बैठकों की योजना और संचालन और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 और विश्व पर्यावरण दिवस, 2020 के समारोहों की सराहना की।
- सदस्यों ने एनबीए के लिए भवन के अधिग्रहण पर अद्यतन स्थिति को नोट किया और एनबीए के लिए स्वयं के भवन और अधिक स्थान की आवश्यकता पर अपनी सहमति भी व्यक्त की।

- सदस्यों ने चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के जैव विविधता पार्क के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।
- प्राधिकरण ने सलाहकारों और प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की पुष्टि की और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी सहमत हुए।
- प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणियों में युवा पेशेवरों (वैज्ञानिक और कानूनी) की नियुक्ति के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की पुष्टि की।

3-2- çkf/kdj.k dh 57oh cBd

प्राधिकरण की 57वीं बैठक 7 जुलाई 2020 को वर्चुअल मोड में श्री डॉ.वि.बि. माथुर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता मे आयोजित हुई।बैठक में जिन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा हुई, जिन पर विचार किया गया और जो निर्णय लिये गये वे इस प्रकार हैं:

- प्राधिकरण ने कार्यसूची मद संख्या 56.03 अर्थात बीडी नियम, 2004 में प्रस्तावित संशोधन को छोड़कर एनबीए की 56वीं प्राधिकरण बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की।
- प्राधिकरण ने एनबीए को सदस्यों द्वारा दी गई टिप्पणियों के आधार पर 56वीं प्राधिकरण बैठक की मसौदा कार्यवाही को संशोधित करने और सदस्यों को परिचालित करने का निर्देश दिया।
- प्राधिकरण ने एनबीए को सदस्यों द्वारा दी गई टिप्पणियों और व्यापार करने में आसानी के लिए उठाए गए कदमों और एबीएस अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया।
- सदस्यों ने निर्णय लिया कि प्राधिकरण की अगली बैठक 17 जुलाई, 2020 को सदस्यों द्वारा दी गई टिप्पणियों पर चर्चा करने और बीडी नियम, 2004 में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई जाएगी।

3-3- çkf/kdj.k dh 58oh cBd

प्राधिकरण की 58वीं बैठक 17 जुलाई 2020 को वर्चुअल मोड में डॉ.वि.बि. माथुर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित हुई।बैठक में जिन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा हुई, जिन पर विचार किया गया और जो निर्णय लिये गये वे इस प्रकार है

- प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा जैविक विविधता नियमावली, 2004 में संशोधन के प्रारूप पर दी गई टिप्पणियों को इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को जांच और प्रतिक्रिया के लिए भेजा जा सकता है।
- सदस्यों ने निर्णय लिया कि प्राधिकरण की अगली बैठक 07 अगस्त, 2020 को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी।

3-4- çkf/kdj.k dh 59oh cBd

प्राधिकरण की 59वीं बैठक 7 अगस्त, 2020 को वर्चुअल मोड में डॉ.वि.बि. माथुर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा हुई, जिन पर विचार किया गया और जो निर्णय लिये गये वे इस प्रकार हैं

- सदस्यों ने बीडी नियमावली, 2004 में संशोधनों के मसौदे को सैद्धांतिक रूप से और बीडी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर अंतिम मैट्रिक्स को मंजूरी दे दी।
- बीडी नियम, 2004 में संशोधन के मसौदे को आगे की कार्रवाई के लिए एमओईएफसीसी को सूचित किया जाएगा।
- प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखा और वर्ष 2020–21 के बजट का समर्थन किया।

3-5- çkf/kdj.k dh 60oh cBd

प्राधिकरण की 60वीं बैठक 28 अगस्त, 2020 को वर्चुअल मोड में डॉ.वि.बि. माथुर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा हुई, जिन पर विचार किया गया और जो निर्णय लिये गये वे इस प्रकार हैं

- सदस्यों ने बीडी अधिनियम, 2002 के मसौदे संशोधनों को सैद्धांतिक रूप से और बीडी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर अंतिम मैट्रिक्स को मंजूरी दे दी।
- प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन के मसौदे पर एमओटीए द्वारा दी गई टिप्पणियों को इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को जांच के लिए भेजा जाएगा और उसकी सिफारिशें की जाएंगी।
- सदस्यों ने यह भी निर्णय लिया कि एमओटीए की टिप्पणियों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अकेले प्राधिकरण की अगली बैठक में चर्चा की जा सकती है और बीडी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

अध्याय 4

çkf/kdj.k }kjk xfBr lfefr;k vkj mudh xfrfof/k;k

4-1- fo'ks"kK lfefr tS o fofo/krk fu;eksa ukxks;k çksVksdky ds rgr mi;ksxdrkZ ns'k ds mik;ksa vkSj {ks= fof'k"V ekud lapkyu çfØ;kvksa ds fodkl dh tkap djsxhA

प्राधिकरण की 52वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, जैव विविधता नियमों की जांच करने के लिए, नागोया प्रोटोकॉल के तहत उपयोगकर्ता देश के उपायों और क्षेत्र विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं के विकास के लिये कार्यालय आदेश दिनांक 31.05.2019 के अंतर्गत श्री ए के गोयल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। तदनुसार, एनबीए ने 2020–2021 की अवधि के दौरान 07 बैठकों का आयोजन किया। 29 अप्रैल से 1 मई 2020 के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से एसबीबी के साथ तीन परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, सोलहवीं और सत्रहवीं बैठकें क्रमशः 07–09 मई, 2020 और 11–13 मई, 2020 को आयोजित की गईं।

श्री. ए.के. गोयल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने17 मई 2020 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने बीडी अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में अधिक स्पष्टता लाने, अनुसंधान और व्यावसायिक क्षेत्रों की सहायता करने और व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए 137 संशोधनों का सुझाव दिया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अगस्त 2020 में अपनी सिफारिशों के साथ विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंत्रालय को अग्रेषित किया।

इसके अलावा, कैबिनेट सचिव और सचिव, ईएफसीसी की अध्यक्षता में 24 जुलाई, 2020 और 7 अगस्त, 2020 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रीमती बीवी उमादेवी, अतिरिक्त सचिव एमओईएफ–सीसी की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, बीडी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए श्रीमती बी.वी.उमादेवी, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफएंडसीसी की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया । वर्किंग ग्रुप की पांच बैठकें अर्थात 25 अगस्त 2020, 16 अक्टूबर 2020, 23 अक्टूबर 2020, 3 और 12 नवंबर 2020 को हुईं और बीडी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा कीगई। इसके अलावा, सचिवों के साथ समिति की बैठक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में 6 जनवरी 2021 को सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ जैव विविधता अधिनियम, 2002 के संशोधन पर चर्चा करने के लिए एमओईएफएंडसीसी के सचिव, श्री आर.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

तत्पश्चात 18 जनवरी, 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधिकारियों के साथ जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई गई। इस मुद्दे पर विचार–विमर्श के बाद, डीबीटी ने प्रस्तावित संशोधनों पर एनबीए द्वारा प्रदान किए गए औचित्य को स्वीकार करने का निर्णय

लिया। इसके बाद, अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं। इसके बाद, मंत्रालय ने उपरोक्त बैठकों में प्रस्तावित संशोधनों को परिष्कृत करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया।

अध्याय 5

tfod lalk/kuk rd igap dk fofu;fer djus ds fy, xfrfof/k;k vkj mfpr vkj U;k;laxr ykHk lk>k djuk

5-1- igap vkj ykHk lk>kdj.k (ABS) ij fo'k"kK lfefr (EC)

अनुसंधान, जैव–सर्वेक्षण और जैव–उपयोग और वाणिज्यिक उपयोग, अनुसंधान के परिणामों के हस्तांतरण, अनुसंधान के आधार पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने या जैविक संसाधनों पर जानकारी के लिए जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान तक पहुंच के लिए पूर्व अनुमोदन की मांग करने वाले आवेदन और एनबीए द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष को प्राप्त जैविक संसाधनों के हस्तांतरण का मूल्यांकन इस विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है जिसने प्राधिकरण के विचार के लिए उपयुक्त सिफारिशें की हैं। वर्ष के दौरान, समिति ने तीन बार बैठक की–5 और 6 मार्च 2020 को 59वीं बैठक, 3 नवंबर 2020 को 60वीं बैठक और 18 मार्च 2021 को 61वीं बैठक की गई और पहुंच और लाभ साझा करने पर 379 आवेदनों का मूल्यांकन किया और प्राधिकरण को सिफारिशें प्रदान कीं। इसके अलावा, विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न श्रेणियों के तहत फॉर्म– III आवेदनों पर लाभ साझा करने वाले घटक के निर्धारण के लिए मसौदा सूत्र पर विचार करने के संबंध में सामान्य मुद्दे पर तकनीकी–कानूनी जानकारी प्रदान की।

5-2- vu|ikyu dk v|rjk"Vh; Lrj ij ekU;rk çkIr çek.ki= r|;kj djuk ¼vkb|vkj lh lh½

आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, पार्टियों को एक्सेस के समय, इस बात के प्रमाण के रूप में कि आनुवंशिक संसाधनों तक एक्सेस पूर्व सूचित सहमति पर आधारित थी और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें स्थापित की गई थीं, इस आशय का एक परमिट या इसके समकक्ष प्रलेख जारी करने की आवश्यकता होती है. चूंकि भारत नागोया प्रोटोकॉल का एक पक्ष है, इसलिए एनबीए ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) उत्पन्न करने वाले एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में दिए गए 1787 अनुमोदनों का विवरण अपलोड किया है।

5-3- t|o fofo/krk vf/kfu;e] 2002 d| çHkkoh dk;kUo;u d| fy, ykHk lk>kdj.k ¼,ch,l½ {kerk dk vkdyu dju| d| fy, dk;|ç.kkyh fodfl r dju| d| fy, dk;| leg

एनबीए ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.09.2020 के तहत डॉ. गिरिधर किन्हल पूर्व पीसीसीएफ (एमपी) और पूर्व निदेशक, आईआईएफएम, भोपाल की अध्यक्षता में एबीएस क्षमता का आकलन करने के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए एक कार्य समूह (डब्ल्यूजी) का गठन किया। इस विषय पर विचार–विमर्श करने के लिए 14 अक्टूबर, 2020 और 09 जुलाई, 2021 को एनबीए द्वारा डब्ल्यूजी की दो बैठकें आयोजित की गई हैं।

इन बैठकों में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्डों और स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा संरक्षण, क्षमता के आकलन और एबीएस फंड के उपयोग के लिए हस्तक्षेपों की पहचान के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। बीडी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के

अनुसार स्थानीय जैव विविधता कोष (एलबीएफ) की स्थापना के लिए तैयार मसौदा मार्गदर्शन दस्तावेज, जहां से संसाधनों का उपयोग किया जाता है, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली में एबीएस फंड का निवेश करने के लिए पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत है।

अध्याय 6

t|fod fofo/krk vf/kfu;e] 2002 dh /kkjk 3] 4 vkj 6 e fufn"V xfrfof/k;k dk dju d fy, fn;k x;k vuekdnu

6-1- vuekdnu fooj.k

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और समान बंटवारा है। तदनुसार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और/या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित अनिवार्य किया गया है। जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग वाणिज्यिक उपयोग आईपी अधिकार प्राप्त करना अनुसंधान के परिणामों का हस्तांतरण और उपयोग किए गए जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण। आवेदक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को अधिनियम की धारा 3, 4, और 6 में जैविक विविधता नियम 2004 के 14, 17 और 18 में और एबीएस विनियम 2014 में उल्लिखित किया गया है।

उपरोक्त गतिविधियों के लिए, एनबीए को विभिन्न हितधारकों अर्थात गैर–भारतीय व्यक्ति या संस्था भारतीय व्यक्ति या संस्था से आवेदन प्राप्त होते हैं और इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से जांच की जा रही है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका 2 में दी गई है।

rkfydk 2: ,ch,l vuqç;kxk dh Js.kh

chMh vf/kfu;e] 2002 dh /kkjk,i	çi= l[;k	vkonu dk mís';	fdl d }kjk
धारा 3	I	अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव–सर्वेक्षण या जैव–उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और/या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच	शेयर पूंजी या प्रबंधन में गैर–भारतीय भागीदारी वाली गैर–भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय इकाई
धारा 4	II	अनुसंधान के परिणामों का स्थानांतरण	शेयर पूंजी में गैर–भारतीय भागीदारी वाले किसी भी गैर–भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय इकाई के लिए कोई भी भारतीय/गैर–भारतीय या संस्था
धारा 6	III	बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने में अनापत्ति की मांग	कोई भी भारतीय/गैर–भारतीय या संस्था

अपनी स्थापना के बाद से, एनबीए को फॉर्म I,II और III (चित्र 1ए) के तहत विभिन्न हितधारकों से 4789 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, इसे 952 आवेदन प्राप्त हुए (चित्र 1बी), जो सभी प्रकार से पूर्ण थे और इसलिए प्रसंस्करण के लिए लिया गया था। आवेदनों के प्रसंस्करण के चरणों को तालिका 3 में दिखाया गया है।

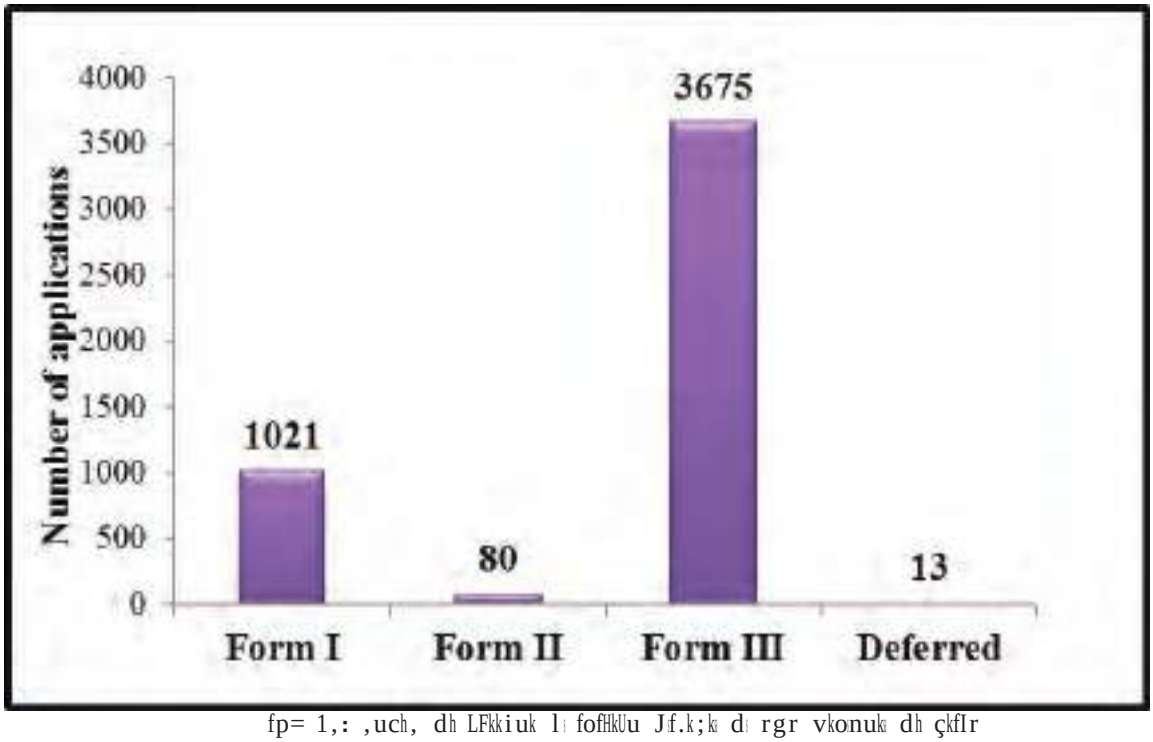

fp= 1,: ,uch, dh LFkkiuk l fofHkUu Jf.k;k d rgr vkonuk dh çkfIr

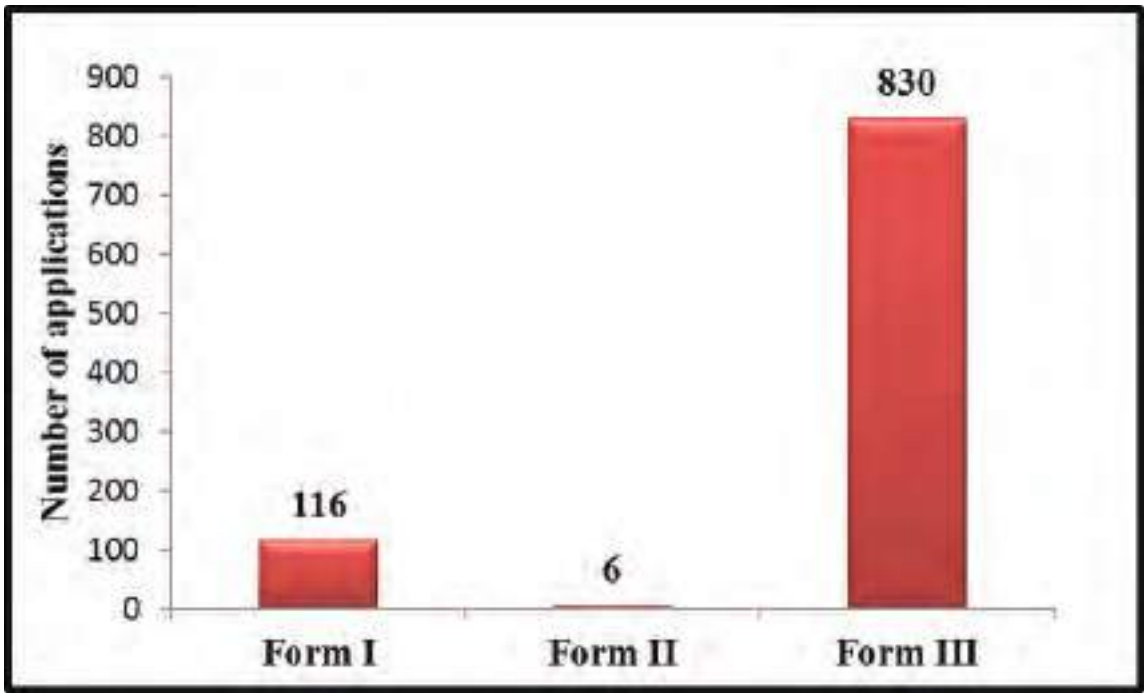

fp= 1ch: 2020&21 d nkjku fofHkUu Jf.k;k d rgr vkonuk dh çkfIr

rkfydk 3: ,ch,l vuqç;ksx dk çlLdj.k dk pj.k

fooj.k	çi= I	çi= II	çi= III	;ksx
प्राप्त	116	6	830	952
निष्पादित	82	3	784	869
प्रक्रियाधीन	7		3	10
उल्लंघन	1		1	2
बन्द/ वापस हुए	26	3	42	71
अनुबंध हस्ताक्षरित/अनुमोदित	41	2	544	587
निष्पादित (पूर्व वर्षों में प्राप्त आवेदन)	683	36	2375	3094
अनुबंध हस्ताक्षरित (पूर्व वर्षों में प्राप्त आवेदन)	327	28	1650	2005
बंद/ वापस (पूर्व वर्षों में प्राप्त आवेदन)	205	37	434	676
निरस्त	13	1	25	39

6-2- ykHk&lk>kdj.k dh olwyh gbZ

एनबीए को 2020–2021 के दौरान लाभ–साझाकरण घटक के रूप में रू. 8,40,98,477 की राशि प्राप्त हुई।

अध्याय 7

vkuqof'kd lalk/kuk vkj lac) Kku ls lacf/kr ckf)d laink vf/kdkjk dk lac/k esa fd, x, mik;

7-1 fd, x, mik;

जैविक आनुवांशिक संसाधन और उनसे जुड़े ज्ञान, बायोप्रोस्पेक्टिंग के लिए मूल अवयवों का निर्माण करते हैं, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते आर एंड डी क्षेत्र में से एक है। यह मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण में योगदान देता है जो बदले में अत्यधिक आर्थिक क्षमता रखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का उपयोग इस बहुमूल्य जानकारी पर एकाधिकार अधिकार बनाने के लिए एक कानूनी उपकरण के रूप में किया जाता है और जिससे व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित होती है। लेकिन पेटेंट के अनुदान के माध्यम से निजी संपत्ति अधिकारों का निर्माण भविष्य के अनुसंधान के लिए बाधाओं को जन्म दे सकता है। इस तरह के अनन्य अधिकारों के धारकों को काफी लाभ होने के बावजूद, वास्तविक संरक्षक और जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के धारकों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं के बीच आईपीआर के माध्यम से इस तरह के अनुसंधान और बाद में जैविक संसाधनों के व्यावसायीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभों का समान रूप से साझा करना है। यह प्री–इनफॉर्म्ड कंसेंट (PIC) के माध्यम से प्रवेश के लिए एक अंतरराष्ट्रीय जनादेश के निर्माण और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (MAT) के आधार पर लाभ साझा करने के द्वारा इन हितधारकों के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 को सीबीडी अर्थात जैविक संसाधनों के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को लागू करने के लिए लागू किया। जैविक विविधता अधिनियम की धारा 6, किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी जैविक अनुसंधान पर आधारित अनुसंधान या सूचना के आधार पर एक आविष्कार के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य करती है, जो भारत से उत्पन्न या प्राप्त की जाती है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी। अनुमोदन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति फार्म III में एनबीए में आवेदन करेगा।

29 अक्टूबर 2010 को अपनाए गए नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य सीबीडी के तीसरे उद्देश्य को मजबूत करना है – आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग पर लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण। इस संबंध में, नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 और 16 में कहा गया है कि प्रत्येक पार्टी अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले आनुवंशिक संसाधन और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान प्रदान करने के लिए उचित, प्रभावी और आनुपातिक विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेगी। पहले से सूचित सहमति के अनुसार पहुँचा जा सकता है और यह कि पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों को स्थापित किया गया है, जैसा कि घरेलू उपयोग और लाभ–साझाकरण कानून या अन्य पार्टी की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक है। इसके अलावा, पार्टियां गैर–अनुपालन की शर्तों को संबोधित करने के लिए उचित, प्रभावी और समानुपातिक उपाय करेंगी, और जहां तक संभव हो और उचित होगा, घरेलू पहुंच और लाभ–साझाकरण कानून या नियामक आवश्यकताओं के कथित उल्लंघन के मामलों में सहयोग करेंगी।

पेटेंट आवेदनों की प्रभावी निगरानी के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और भारतीय पेटेंट कार्यालय पिछले कुछ वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैविक विविधता (BD) अधिनियम, 2002 की धारा 6 के लिए आवश्यक है कि भारत से प्राप्त किसी जैविक संसाधन पर किसी शोध या सूचना के आधार पर किसी आविष्कार के लिए किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाला कोई भी व्यक्ति एनबीए की पूर्वानुमति प्राप्त करेगा। पेटेंट अधिनियम, 1970 के 10(4)(ii)(D) के तहत आवेदक को आविष्कार में प्रयुक्त जैविक संसाधनों के स्रोत और उत्पत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 6 की भावना को पेटेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की जांच के लिए दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2013 और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (CGPDTM) के तहत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक (DIPP) के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 18 दिसंबर 2012 को पारंपरिक ज्ञान और जैविक सामग्री से संबंधित पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश में शामिल किया गया है। इन दोनों दिशा–निर्देशों और सीजीपीडीटीएम द्वारा जारी 2012 के परिपत्र संख्या 1 में यह अपेक्षित है कि भारत से प्राप्त जैविक सामग्री पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदक द्वारा एनबीए अनुमोदन की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है। इसके अलावा इस आवश्यकता को फॉर्म I में एक घोषणा के रूप में भी शामिल किया गया है जिसे पेटेंट आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। ये सभी उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट एनबीए से अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रदान नहीं किया जाएगा।

अध्याय 8

tfod llk/kuk d mi;kx d fy, çkf/kdj.k }kjk nh xb Loh—fr

राष्ट्रीय जैव प्रधिकरण अनुसंधान हेतु जैव संसाधनों और / अथवा सहयुक्त जानकारी तक पहुंच जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोगय वाणिज्यिक उपयोग आईपी अधिकार प्राप्त करने अनुसंधान के परिणामों का अंतरण तथा जिन जैव संसाधनों और / अथवा सहयुक्त जानकारी तक पहुंच की गई है, उनके अंतरण से संबंधित कार्यकलापों का विनियमन करने हेतु अधिदेशित है। आवेदक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का अधिनियम की धारा 19 और 20 जैव विविधता नियम 2004 की धारा 14, 17, 18, 19 और 20 तथा एबीएस विनियम 2014 में उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए एनबीए को विभिन्न पणधारकों यथा गैर भारतीय व्यक्तिया इकाई या भारतीय व्यक्ति या इकाई से आवेदन प्राप्त हो रहे है और इनकी इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा रही है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका चार में की गई है।

rkfydk 4: ,ch,l vuç;kxk dh J.kh

/kkjk	Qke	oxl
बीडी अधिनियम 2002 की धारा 20	फार्म IV	एक्सेस किये गये जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान का ततीय पार्टी स्थानांतरण
एबीएस विनियम 2014 की धारा 13	फार्म बी	जैविक संसाधनों का उपयोग करके भारतीय शोधकर्ताओं सरकारी संस्थानों द्वारा भारत के बाहर आपातकालीन उद्देश्य के लिये गैर वाणिज्यिक अनुसंधान या अनुसंधान का संचालन करना

स्थापना के बाद से, एनबीए को विभिन्न हितधारकों से फॉर्म IV (97) और फॉर्म बी (187) के 284 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के चरणों को तालिका –5 में दिखाया गया है।

rkfydk&5: 2020&21 esa Q,e IV vkSj Q,e ch ds ,ch,l vkonuksa ds çlLdj.k ds pj.k

fooj.k	çi= IV	çi= B	;ksx
प्राप्त	5	30	35
निष्पादित	4	49	23
प्रक्रियाधीन	0	0	0
उल्लंघन	0	0	0
बन्द / वापस हुए	1	11	12
अनुबंध / स्ताक्षरितध्अनुमोदित	0	11	11
निष्पादित (पूर्व वर्षों में प्राप्त आवेदन)	40	114	134
अनुबंध हस्ताक्षरित (पूर्व वर्षों में प्राप्त आवेदन)	30	114	144
बंद / वापस (पूर्व वर्षों में प्राप्त आवेदन)	43	43	86
निरस्त	0	0	0

अध्याय 9

ckf)d laink vf/kdkj vkj tlo fofo/krk vf/kfu;e] 2002 ds lac/k e tkx:drk vkj tuHkkxhnkjh

9-1 fMftVy vuØe lpuk (DSI) ij fo'k"kK cBd

एमओईएफसीसी ने 13 अप्रैल, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या CS-C12017/44/2020-CS-III के माध्यम से एनबीए से डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI) पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, एनबीए ने कार्यालय ज्ञापन एनबीए NBA/Tech/EC/9/14/36/20-21 dated 18 April 2020 के तहत श्री सी. अचलेंद्र रेड्डी, आईएफएस, (Retd.) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

टीओआर पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की तीन बार बैठक हुई। विशेषज्ञ समिति चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने सीबीडी द्वारा आयोजित वेबिनार की श्रृंखला के साथ–साथ डीएसआई पर अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया। सीबीडी के तत्वावधान में चल रही बैठकों को ध्यान में रखते हुए, और डीएसआई पर भारत की देश की स्थिति को स्पष्ट करने की दृष्टि से, विशेषज्ञ समिति की एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, एनबीए ने F.No. NBA/Tech/EC/9/14/41/20-21 dated 26 May 2021 ने MoEF&CC को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

9-2- byDV,fud ihiYl ck;kMk;oflVh jftLVj ¼bZ&ihchvkj½ ij fopkj&eaFku l=

बीडी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, स्थानीय जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान पर व्यापक जानकारी का दस्तावेजीकरण करने के लिए बीएमसी का जनादेश जन जैव विविधता रजिस्टर (PBRs) तैयार करना है। इस दिशा में, एनबीए और एसबीबी ने पीबीआर तैयार करने के लिए परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न पहल कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 2,48,156 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है।

वर्तमान में बीआईओएमआईएस (जैव विविधता प्रबंधन सूचना प्रणाली) नामक ई–पीबीआर सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया था। आगे सुधार के लिए एनबीए को मासिक रिपोर्ट के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियों की सूचना दी जा रही है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के प्रतिनिधियों की एक बैठक 9 जनवरी 2020 को एनबीए, चेन्नई में ई–पीबीआर पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। इसके बाद, ई–पीबीआर पायलट चरण परियोजना की समीक्षा और पुनर्विक्रय के लिए एनआईसी केरल राज्य केंद्र में एक बैठक आयोजित की गई। बैठकों में एनबीए, एनआईसी–चेन्नई और एनआईसी–केरल और केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया।

इस संदर्भ में, वित्तीय वर्ष के दौरान ई–पीबीआर अनुप्रयोगों पर विकास की प्रगति की समीक्षा के लिए नौ समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। एनआईसी टीम ने सॉफ्टवेयर विकसित किया है और त्रिपुरा, तमिलनाडु, गोवा और केरल एसबीबी में पायलट परीक्षण किया जा रहा है। एसबीबी ने अपने डेटा को ई–पीबीआर प्लेटफॉर्म में दर्ज करना शुरू कर दिया है और आगे के विकास के लिए एनआईसी को अपने इनपुट और फीड बैक प्रदान किए हैं।

9-3- çf'k{k.k vkj {kerk fuekZ.k dk;Øe

24 से 26 नवंबर 2020 तक जैविक विविधता अधिनियम और उसके कार्यान्वयन का एक अवलोकन विषय पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन पीजी और वनस्पति विज्ञान के अनुसंधान विभाग, विवेकानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज फॉर वूमेन (स्वायत्त), एलयमपलयम, तिरुचेंगोड ऑन इम्प्लीमेंटेशन द्वारा किया गया था। तकनीकी अधिकारी बीएस ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से एबीएस के विशेष संदर्भ में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के महत्व पर प्रकाश डाला।

तेलंगाना राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 27 मार्च 2021 को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 पर तेलंगाना राज्य के मंडल स्तर के बीएमसी के लिए पहुंच और लाभ साझाकरण के विशेष संदर्भ में एक दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। तकनीकी अधिकारी (बीएस) ने पहुंच और लाभ साझाकरण पर एक प्रस्तुति दी।

आईसीएआर–एनएएआरएम ने 26 दिसंबर, 2020 को कृषि शोधकर्ताओं से संबंधित जैव विविधता कानूनों पर परिवीक्षाधीनों को संबोधित करने के लिए कृषि अनुसंधान सेवा (एफओसीएआरएस) के लिए अपने 111वें फाउंडेशन कोर्स पर आयोजित किया। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन को संबोधित करते हुए एक व्याख्यान दिया गया।

9-4- vU; çHkkoh {k= vk/kkfjr lj{k.k mik;k ij fo'k"kK lfefr **(OECMs)**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार ने एनबीए को वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों (OECMs) को मान्यता देने की क्षमता पर चर्चा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया। भारत में ओईसीएम की पहचान के लिए दिशानिर्देश विकसित करने के लिए 8 जून 2020 को एनबीए द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। भारत में ओईसीएम की पहचान के लिए मानदंड और दिशानिर्देश 30 सितंबर 2020 को एमओईएफ और सीसी को प्रस्तुत किए गए थे।

ओईसीएम पर यूएनईपी–डब्ल्यूसीएमसी डेटाबेस में ओईसीएम की पहचान, मानचित्रण और रिपोर्टिंग में तेजी लाने के लिए, डॉ वि.बि. माथुर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2020 को एक कार्य समूह का गठन किया गया था। (ओएम संख्या CSC/2017/23/2019-CS-III)

कार्य समूह ने 15 अक्टूबर 2020 को एक बैठक बुलाई और अध्यक्ष ने सदस्यों से मामला–दर–मामला आधार पर संभावित क्षेत्रों की जांच करने का अनुरोध किया। टीओआर के तहत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए, उन क्षेत्रों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के उद्देश्य से एक उप–कार्य समूह का गठन किया गया था जिन्हें नामित ओईसीएम माना जा सकता था। ओईसीएम पर उप–कार्य समूह ने 12 श्रेणियों के तहत भारत में ओईसीएम की पहचान और मानचित्रण में एनबीए का समर्थन करने वाली विभिन्न एजेंसियों की संभावित भागीदारी पर चर्चा करने के लिए 16 नवंबर 2020 को एक बैठक बुलाई।

एक कदम आगे बढ़ते हुए, प्रत्येक श्रेणी के तहत संभावित ओईसीएम का दस्तावेजीकरण करने के लिए ओईसीएम मैनुअल पर वर्ल्ड डेटाबेस के अनुसार एक रिपोर्टिंग टेम्प्लेट तैयार किया गया था और अग्रणी एजेंसियों से रिपोर्टिंग टेम्प्लेट में संभावित ओईसीएम के उदाहरणों को स्क्रीन और पॉप्युलेट करने का अनुरोध किया गया था। 22 दिसंबर 2020 तक, 12 श्रेणियों के तहत 39 संभावित ओईसीएम की पहचान की गई है,

जिनमें से 27 मामलों की जानकारी प्रस्तुत की गई है और 21 मामलों के लिए डब्ल्यूडीपीए के साथ डेटा साझा करने की सहमति प्राप्त की गई है। समिति की दूसरी बैठक 24 दिसंबर 2020 को हुई जिसमें 20 संभावित ओईसीएम साइटों की पहचान की गई, जिनका सदस्यों ने समर्थन भी किया। यह भी निर्णय लिया गया कि एनबीए 31 दिसंबर 2020 की समय सीमा के भीतर एमओईएफ और सीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

तदनुसार, एनबीए ने आईची जैव विविधता लक्ष्य 11 के तहत उपलब्धि के हिस्से के रूप में 28 दिसंबर 2020 को भारत के संभावित ओईसीएम के पहले 20 स्थलों को मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया था।

9-5 —f"k& t|o fofo/krk ij fo'k"kK lfefr

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को जैविक विविधता अधिनियम की धारा 13 के तहत आवश्यक कृषि–जैव विविधता से संबंधित सलाह देने के लिए कृषि जैव विविधता पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। कृषि–जैव विविधता पर विशेषज्ञ समिति की ग्यारहवीं बैठक 27 अगस्त 2020 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई। चर्चा के दौरान विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित पर विचार किया –

- एनबीए कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान संस्थानों और स्थानीय निकायों जैसे संबंधित हितधारकों से संभावित कृषि जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों को सलाह दे सकता है।
- एक बार जब विशेषज्ञ समिति द्वारा कृषि जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान के लिए मानदंड को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो इसे मौजूदा बीएचएस दिशानिर्देशों में शामिल किया जा सकता है।
- एनबीपीजीआर विशेषज्ञ समिति को जैव विविधता विरासत स्थलों द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले स्थलों के रूप में कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची अग्रेषित करेगा.
- एनबीपीजीआर बीज से संबंधित मामलों से संबंधित मुद्दों पर एबीएस विनियम, विशेष रूप से सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं और गैर–वाणिज्यिक अनुसंधान के लिए जर्मप्लाज्म के पारस्परिक आदान–प्रदान पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा.
- एनबीपीजीआर राष्ट्रीय नामित रिपोजिटरी के लिए एनबीए द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रियाओं पर विशेष रूप से वाउचर नमूने की सुरक्षित अभिरक्षा और जैविक संसाधनों के संग्रह में नियामक मुद्दों के लिए आवश्यक संशोधन प्रदान करेगा।

इसके बाद, निदेशक, आईसीएआर–राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम) की अध्यक्षता में कृषि–जैव विविधता पर विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सह–अध्यक्ष तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे और आईसीएआर के छह राष्ट्रीय ब्यूरो के सदस्य थे और जैव विविधता और कृषि से संबंधित मुद्दों से निपटने और उनकी सिफारिशें करने के लिए अन्य लोग भी लिये गये थे।

9-6- Hkkjr t\o fofo/krk ijLdkj 2020

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ साझेदारी में 2012 में भारत की अध्यक्षता के दौरान जैविक विविधता पर सम्मेलन के दलों के सम्मेलन की ग्यारहवीं बैठक के दौरान भारत जैव विविधता पुरस्कारों की शुरुआत की थी। 2014 और 2016 में भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के साथ साझेदारी में यूएनडीपी द्वारा पुरस्कारों के दूसरे और तीसरे दौर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

चौथे दौर के पुरस्कारों को एनबीए में संस्थापित किया गया था और इसके अनुसरण में गोवा के माननीय मुख्यमंत्री ने 22 मई, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर चौथे भारत जैव विविधता पुरस्कारों का शुभारंभ किया। इसके बाद, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने चौथे भारत जैव विविधता पुरस्कार, 2018 की मेजबानी की, जिसमें यूएनडीपी इंडिया पुरस्कारों के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल था और निम्नलिखित श्रेणियों के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे (i) संरक्षण, (ii) जैविक संसाधनों का सतत उपयोग, (iii) पहुंच और लाभ साझा करने के लिए प्रतिकृति तंत्र और (iv) सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समितियां।

भारत जैव विविधता पुरस्कार 2020 के पांचवें संस्करण को आधिकारिक तौर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 22 मई, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उत्सव के दौरान पोस्टर और ब्रोशर के विमोचन के साथ लॉन्च किया गया था। प्राप्त आवेदनों की जांच करने और विजेताओं को अंतिम रूप देने के लिए, एनबीए ने एक पुरस्कार चयन समिति का गठन किया था जिसमें विभिन्न संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य शामिल थे। एनबीए द्वारा नियमित अंतराल पर इस समिति की बैठकें बुलाई गईं और शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों के काम को मान्य करने के लिए सदस्यों द्वारा क्षेत्र का दौरा किया गया। चल रही कोविड–19 महामारी की स्थिति से संबंधित, इस वर्ष के पुरस्कार को 2021 तक के लिए टाल दिया गया था।

9-7- vUrjkZ"Vªh; tSfod fofo/krk fnol (IDB)&2020 dk vk;kstu

एनबीए ने यूएनडीपी–इंडिया के साथ साझेदारी में 22 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2020 को बहुत विस्तृत तरीके से और वर्चुअल मोड में मनाया।

समारोह का उद्घाटन श्री. प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा किया गया। एमओईएफएंडसीसी के माननीय मंत्री ने एनबीए–यूएनडीपी जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम और जैव विविधता और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 पर वेबिनार श्रृंखला भी शुरू की। अध्यक्ष, एनबीए ने कोविड–19 और एक–स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर पैनल चर्चा का संचालन किया। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस, 2020 मनाने के लिए एनबीए ने यूनेस्को–भारत, टेरी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और सुरभि फाउंडेशन के साथ मिलकर बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क पर एक प्राकृतिक टेलीविजन श्रृंखला पॉकेट्स ऑफ होप लॉन्च किया और सुंदरबन, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पर चार वेबिनार आयोजित किये गये। बड़ी संख्या में राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्डों ने भी जैव विविधता संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन करके दो कार्यक्रमों को बहुत विस्तृत तरीके से मनाया।

ठंउइंतकम डलतपेजपबंूउचे

अध्याय 10

t\o fofo/krk vf/kfu;e] 2002 dh /kkjk 37] 38] 40 vkj 64 d\ rgr tkjh fofu;e

10-1- t\o fofo/krk fojkl r LFky dh igpku] çc/ku vkj fuxjkuh d\ fy, fo'k"kK lfefr dk xBu

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीएचएस की प्रबंधन योजना की रूपरेखा विकसित करने और मौजूदा बीएचएस दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए 26.10.2020 को एक समिति का गठन किया गया था।

समिति की 6 नवंबर और 3 दिसंबर 2020 को दो बार बैठक हुई, जिसमें बीएचएस की वर्तमान स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया और 2 उप–समितियों का गठन किया गया। एक मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए और दूसरी बीएचएस के लिए प्रबंधन और निगरानी योजना के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए गठित की गई थी। समिति ने परिचालित प्रश्नावली के एक सेट के माध्यम से सभी एसबीबी और यूटीबीसी से उनके इनपुट और विचारों के लिए अनुरोध किया। समिति दिशानिर्देशों और ढांचे पर मसौदा सिफारिश को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

10-2- t\o fofo/krk fojkl r LFkyk ¼BHS½ dh ?kks"k.kk

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, महाराष्ट्र में 3 जैव विविधता विरासत स्थलों (BHS) को अधिसूचित किया गया है जो तालिका 6 में दिए गए हैं।

rkfydk 6: bl fjikfVx vof/k d\ nkjku vf/klfpr t\o fofo/krk fojkl r LFkyk ¼ch,p,l½ dh lwph

l\[;k	jkT;	uke¼{k=½	f t yk	vf/klpuk
1	महाराष्ट्र	बम्बार्डे मिरिस्टिका दलदल (2.59 हे.)	डोडामार्ग	No.WLP-1220/CR-261/F-1 dtd 28.01.2021
2	"	गणेशखिंड गार्डन (33.01 हे.)	पुणे	No.WLP.0518/CR-223/F-1 dtd 31.08.2020
3	"	लैंडोर्खोरी	जलगांव	No.WLP.0518/CR-234/F-1 dtd 31.08.2020

10-3 tSfod fofo/krk vf/kfu;e] 2002 dh /kkjk 38 ds vraxZr vf/klwpuk

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 में केंद्र सरकार को पौधों और जानवरों की प्रजातियों को जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है क्योंकि ये प्रजातियां खतरे के करीब हैं जिनके किसी भी उद्देश्य के लिए संग्रह को रोकने या विनियमित करने और उन प्रजातियों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने के लिये संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श का अधिकार है। अब तक असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दीव और बांध द्वीपों जैसे 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने बीडी एक्ट के यूध्एस 38 में खतरे की प्रजातियों को अधिसूचित किया है, जिसमें कुल 159 पौधे और 175 पशु प्रजातियां शामिल हैं।

ये सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं (http://nbaindia-org/content/18/21/1/notifications--html) [पौधों और जानवरों की प्रजातियां जो राज्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं।]

10-4 tSfod fofo/krk vf/kfu;e] 2002 dh /kkjk 40 ds vraxZr vf/klwpuk,¡

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के समन्वय से जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 40 केंद्र सरकार की शक्ति को अधिसूचित (सरकारी राजपत्र में) छूट देने का अधिकार देता है, जो अधिनियम के प्रावधानों से जैविक संसाधनों सहित किसी भी वस्तु, जैसा कि सामान्य रूप से वस्तुओं (NTACs) के बारे में होता है। एमओईएफ और सीसी, अब तक दो गजट नोटिफिकेशन यू / एस 40 वीडीओ एसओ 1352 (ई) दिनांक 7 अप्रैल, 2016 (385 प्रजातियां) और एसओ 3533 (ई) दिनांक 7 नवंबर, 2017 (36 प्रजातियां) जारी कर चुका है, इस प्रकार कुल 421 पौधों की प्रजातियां जैविक संसाधन एनटीएसी के रूप में सूचीबद्ध हैं। जब एनटीएसी पर ईसी द्वारा अपनी बैठकों के माध्यम से अनुशंसित सिद्धांतों और मानदंडों के एक सेट के बाद कमोडिटी के रूप में कारोबार किया जाता है तब इस प्रकार उन्हें बीडी अधिनियम के एबीएस प्रावधानों से छूट दी जाती है।

ये सूचनाएं आनलाइन उपलब्ध हैं. (http://nbaindia-org/content/18/21/1/notifications-html) [अधिनियम, 2002 की धारा 40 के अंतर्गत जैविक संसाधन सामान्य रूप से कारोबार की जाने वाली वस्तुओं के रूप में अधिसूचित हैं।]

अध्याय 11

foÙk ,oa y[kk

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Receipts and Payments Account for the year ended 31st March, 2021

Receipts	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20	Payments	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20
I. Opening Balances			I. GIA - Salaries		
			a) Establishment Expenses		
A) NBA Account			i) previews year O/s Rs. 2015726	3,28,91,034	2,31,02,215
a) Cash in hand	50,000	50,000	ii) Current Year Exps Rs. 30875308		
b) Stamp	764	-			
c) Bank Balances:-					
1. NBA Account	2,76,01,084	1,72,48,308	II. GIA - General		
2. NBF Account					
i SB A/c & Current A/c	90,99,64,707	76,78,36,884	A. GIA - Regular Expenses		
ii Fixed Deposit A/c	22,76,06,021	25,73,93,939	previews year O/s Rs.3168611	3,71,51,385	7,34,92,720
3. NBA Fund Admin A/c	-	-	Current Year Exps Rs. 33982774		
4. Projects			i) Consumption of Stamps	2,575	2,390
i. NBA Asean Project A/c	1,14,15,977	1,52,70,510	ii) Consumed out of opening	57	
ii. GEF Bank A/c	87,80,715	1,70,36,603	iii)Funding for awarness programe	10,80,887	40,75,430
			a) previews year O/s Rs. 10000		
iii CEBPOL Bank A/c	-	41,67,003	b) Current Year Exps Rs. 1070887		
			iii) Fixed Assets	18,77,100	12,27,030
II. Grants			iv) E- Office Development	2,41,898	5,30,468
			v) Liaison office hyderbad Exps	10,000	-
a) Grant Received from (MoEF &CC)	10,80,00,000	18,00,00,000			
			B. GIA to SBB's		
			i)Strenghening of SBBs	1,37,13,998	3,41,03,670
			ii)Constitution of BMCs.& PBRs Preparation	85,81,000	2,11,28,604
			III) GIA - SC-SP	65,00,000	1,99,90,000
			IV)GIA - TSP	64,90,000	
			V. GIA - Capital		
III. Income on Investments					
			i. Advance to Building	1,00,00,000	
			II\ Refund of interest earend on GIA to	29,73,184	17,48,793
Earmarked / Endowment Funds					
			III.Other Payments		
			a)Miscellaneous Expenditure/ Bank Charges on NBF A/c	-	826
			Deposits/E.M.D repaid	1,15,000	-
			b) ACB project	-	-
			IV. Project A/c		
			i)CEBPOL A/c wounded up and transfer to MoEF	-	42,00,517
IV. Interest received			ii)GEF Project A/c	-	2,21,12,516
A) NBA A/c	74,80,309	29,73,184	iii)NBA Asean Project A/c	1,16,24,733	44,23,175
i. General A/cRs.205904/-					
ii. Salary A/c Rs.73428/-					
iii. SC- SP A/c Rs.19323/-					
iv. TSP A/c Rs.12426/-					
v. Int.refunded by SBBs Rs. 7169228					
B) NBA Fund A/c	3,23,865	76,35,662	V. NBA Fund A/c payments		
C) NBF Sweep A/c interest	4,94,00,701	5,07,62,500	a)Benefit Sharing Payment to Stakeholders under Red Sanders (ABS)	43,98,55,316	81,04,400
			b) NBA Fund Admin	1,70,00,000	-
E) Fixed Depoist A/c Interest received/Reinvested	1,58,55,613	1,88,75,635	c)Benefit Sharing Payment to Stakeholders under Other then Red Sanders(ABS)	6,40,41,348	5,00,000
			d)Kown remittance(2019-20)	47,196	81,000
V. Income to NBF A/c			e) Bank Charges	3,656	-
a) Application fee	11,91,534	25,07,156			

Receipts	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20	Payments	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20
b) ABS Upfront payment	7,51,35,044	38,45,026			
c) 5% Benefit Sharing	89,63,433	3,65,02,151			
d) unclassified receipts A/c	2,10,56,946	-			
e) Other receipts	2	-			
VI. Other Income					
c) Refund of Expendutre					
b) Sale of Newspapers					
C) RTI filing fee	200	1,130			
VII. Income NBF Admin A/c			**VI. Expenditure NBF Admin A/c**	1,69,16,151	
NBA Fund Admin	1,70,00,000	-			
Interest on NBA Fund Admin A/c	12,433	-			
VIII. Amount - Borrowed	-	-			
IX. Other Receipts:					
Earnest Money / Security Deposit / Ret.Money recd.from Contractors	40,000.00	-			
Application fee for YP's recruitment	2,05,286.80	-			
Income Tax refund	5,29,890.00	26,540			
GEF - NIC		66,40,000			
GEF_A/c interest Rs.	1,85,714	1,13,243			
X Project Account					
CEBPOL A/c	-	33,514			
GEF.Project A/c	2,49,322	1,38,56,628			
NBA Asean Project A/c	2,41,258	5,68,542			
Performance Guarantee					
			VIII. Closing Balances		
			a) Cash in hand	40,000	50,000
Stock of stamp	-	764	b) Stamps in Hand	707	764
			c) NBF A/c.		
			1) Fixed Deposit (Fund)A/c	3,34,79,408	22,76,08,021
			2) In Savings (Fund) A/c	75,41,72,943	90,90,64,707
			d) NBA A/c		
			1) NBA General A/c	1,75,14,783	2,76,01,084
			2) NBA Salary A/c	48,57,891	-
			3) NBA SC SP A/c	29,323	-
			4) NBA SC ST A/c	17,426	-
			5) NBA Capital A/c	-	-
			c) Admin Fund A/c	96,282	-
			d) GEF Cash & Bank A/c	90,21,973	87,80,715
			e) Asean Project A/c	40,566	1,14,15,977
Total	**1,49,03,92,818**	**1,40,33,45,022**	**Total**	**1,49,03,92,818**	**1,40,33,45,022**

ACCOUNTS OFFICER SECRETARY CHAIRPERSON

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113

Income and Expenditure for the year ended 31st.March,2021

INCOME	Sch. No.	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20
Income from Sales / Services	12		
Grants/ Subsidies: Rs.			
Grants received as per (Sch.No.13) 10,80,00,000	13	12,07,93,872	19,06,92,346
Revalidated Grants for 2020-21 1,66,31,303			
Total (Sch.No.13) 12,46,31,303			
Less: Capitalization of Fixed Assets during the year 2020-21 (-) 1,19,65,600			
Add: Interest payable to govt.(Schd.17) + 81,28,169			
Net Income from Grants 12,07,93,872			
Fees / Subscription	14		
Income from Investments (Income on Investments from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)	15		
Income from Royalty, Publication etc.	16		
Interest Earned	17		0
Other Income	18	7,35,377	27,670
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works in-progress	19	0	32,79,309
Fund Admin A/c		1,70,12,433	0
Project Proposal created during 2019-20 written off to the extend not payable		2,297	0
Accummulated provisions for project porposal written off		15,66,674	0
Income receivable from Govt.for Gratutiy & leave salary		1923278	1971401
TOTAL (A)		**14,20,33,931**	**19,59,70,726**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	3,47,38,229	2,52,43,621
Other Administrative Expenses etc.	21	3,65,63,187	7,68,56,348
Fund Admin Expenditure Part of Sch 21- B	21 B	1,68,90,948	0
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	3,52,89,998	7,52,22,274
Interest	23		
Depreciation as per Schedule 8		11,24,005	6,65,085
Payable to Government:			
Un-Utilized Grant revalidation for the year 2020-21 Rs Rs.60,96,426		1,42,24,595	1,92,67,979
Authority Saving Bank Interest 2020-21 81,28,169			
TOTAL (B)		**13,88,30,963**	**19,72,55,307**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		32,02,968	-12,84,581
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRPERSON**

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113
Balance Sheet for the year ended 31st March, 2021

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Sch. No.	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20
CAPITAL FUND	1	1,73,75,609	18,04,582
RESERVES AND SURPLUS	2		0
NATIONAL BIODIVERSITY FUND	3	76,16,67,397	116,52,52,033
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	0	0
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5		0
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	0	0
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	7,22,82,535	4,78,16,540
TOTAL		**85,13,25,541**	**121,48,73,155**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8		
		43,02,342	34,60,773
Advance payment for Building		1,00,00,000	0
NICSI total value of work Rs.4028461			
Less: Work-in-Progress Rs. 199152		38,29,309	
Finished Goods Rs.3829309			33,67,809
INVESTMENTS–FROM EARMARKED/ ENDOW MENT FUNDS	9	0	0
INVESTMENTS – OTHERS	10		0
CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES ETC.	11	83,31,93,891	120,80,44,573
TOTAL		**85,13,25,541**	**121,48,73,155**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUN TS	25		

ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRPERSON**

अध्याय 12

o"k 2021&22 d fy;s okf"kd dk;l ;kstuk

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा भारत में जैव विविधता अधिनियम का कार्यान्वयन करने और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (सीबीडी) द्वारा दिए गए अधिदेश को पूरा करने हेतु प्रत्येक वर्ष कार्य बिन्दुओं की सूची तैयार की जाती है। वर्ष 2021–22 में राज्य जैवविविधता बोडा (एसबीबी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की सक्रिय भागीदारी के साथ निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे

1) बीएमसी के राज्यवार नेटवर्क में अभी तक की गई प्रगति की समीक्षा करना और मौजूदा प्रचालन प्रक्रिया में चुनौतियों और कमियों का विश्लेषण करते हुए पीबीआर तैयार करना। बीएमसीकी कार्यात्मक स्थिति का आकलन करना। देश के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में और उनके आस–पास कार्य नहीं करने वाली बीएमसी को पुनरुज्जीवित करने को प्राथमिकता देना।

2) राज्यों में पीबीआर की तैयारी के लिए अनुकूलित तंत्र (साइट और राज्य–विशिष्ट कार्यप्रण ाालीय कैप्चर किए गए डेटा का प्रमाणीकरण वित्तीय सहायता का उपयोग, सहायता की मात्रा में संशोधन की आवश्यकता, यदि कोई हो आदि) की समीक्षा ।

3) एसबीबी द्वारा प्रलेखित डेटा का संकलन करने हेतु एकरूपात्मक प्रपत्र तैयार करने के लिए पीबीआर का डिजिटलीकरण करना।

4) बीएमसी के गठन और पीबीआर तैयार करने हेतु एसबीबी को अनुदान सहायता देने संबंधी सत्यापन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के द्वारा समस्त भारत के स्थानीय निकायों काडिजिटल डाटा बेस तैयार करना।

5) वन्यजीव, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों के अधिकारियों के साथ–साथ जैव संसाधनों, उनके संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन से संबंधित विभागों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान करना।

6) विभिन्न हितधारकों के लिए गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और सरकारी विभागों के माध्यम से जैविक विविधता अधिनियम, 2002 पर जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और संगोष्ठियों का आयोजन और संचालन।

7) विविध हितधारकों के लिए बीडी अधिनियम, 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मीडिया, प्रिंट, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना।

8) बीडी अधिनियम की धारा 40 के तहत सामान्य रूप से व्यापारिक वस्तुओं (एनटीसी) के रूप में वर्गीकृत जैव संसाधनों की सूची को आवश्यकता–आधारित सुधार और अद्यतन की सुविधा प्रदान करें।

9) संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था और सुविधा प्रदान करना और बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत विलुप्त होने के कगार पर मौजूद प्रजातियों की सूची को अद्यतन करना।

10) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायत राज, हैदराबाद के सहयोग से स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों सहित हितधारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को लाभान्वित करने के लिए जैव विविधता शासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लागू करना।

11) निर्णय लेने के लिए विषय मामलों और प्राधिकरण की बैठकों पर विचार–विमर्श करने के लिए उपयुक्त और नियमित विशेषज्ञ समितियों की बैठकें आयोजित करना।

12) एनआईसी के सहयोग से एनबीए सचिवालय में एबीएस अनुप्रयोगों की रीयल–टाइम प्रोसेसिंग लागू करें।

13) प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए रेड सैंडर्स पर रिपोर्ट में सुझाए गए निर्णयों को लागू करें।

14) लाभार्थियों के साथ जैविक संसाधनों और/या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से अर्जित लाभों को साझा करना, और गोजातीय पशु भ्रूण और रेड सैंडर्स तक पहुंच पर अर्जित लाभों को शामिल करना।

15) प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम–एसटीआईएसी) ने जैव विविधता विज्ञान सह-संघ (बीएससी) द्वारा प्रस्तुत जैव विविधता और मानव कल्याण (एनएमबी और एचडब्ल्यू) पर एक राष्ट्रीय मिशन की अवधारणा का समर्थन किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को बीएससीकी तकनीकी सहायता से डीपीआर और (ईएफसी) मेमो तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य पर्यावरण और मानव कल्याण में हमारी दबाव संबंधी चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारत में जैव विविधता विज्ञान को मजबूत करना है। एनबीआर एंड एचडब्ल्यू और पीबीआर प्रक्रियाओं के बीच मजबूत संबंध बनाने की जरूरत है क्यों कि पीबीआर में देश भर में जैविक विविधता के संरक्षण, प्रबंधन और प्रबंधन दोनों की क्षमता है। एनबीए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पीबीआर नेटवर्क की स्थापना में योगदान देगा और इन–डीप रोडमैप को विकसित करने में मदद भी करेगा और फिर यह इस ई–पीबीआर अवधारणा के कार्यान्वयन के साथ शुरू होगा।

अध्याय 13

jk"Vªh; tSo fofo/krk çkf/kdj.k dh vU; egRoiw.kZ xfrfof/k;k

13-1- dkuwuh vkSj fu;ked lwpuk dh leh{kk

13-1-1-orZeku esa jk"Vªh; tSofofo/krk çkf/kdj.k }kjk ;k mlds fy, tkjh eqdnes

विधि कक्ष विभिन्न अदालतों न्यायाधिकरणों के समक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पर्यावरण और वन मंत्रालय के खिलाफ मुकदमों से निपटने या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लिए पेश होने वाले वकील की सहायता के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के उल्लंघन और उक्त अधिनियम के तहत जारी किसी भी आदेश या निर्देश से संबंधित मामलों को लेकर सक्रिय कदम उठा रहा है।

विभिन्न अदालतों / न्यायाधिकरणों के समक्ष एनबीए में लंबित मामलों की सूची तालिका 7 में दी गई है

rkfydk 7: fofHkUu vnkyrksa U;k;kf/kdj.kksa ds le{k ,uch, esa yafcr ekeyksa dh lwph

क्रमांक	U;k;ky; U;k;kf/kdj.k dk uke	dsl ucj	la[;k
1	प्रधान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जे.एम. एफ.सी., धारवाड़	C.C.579 of 2012	1
2	बंबई उच्च न्यायालय	W.P. No. 3590 of 2018	1
3	बंबई उच्च न्यायालय	W.P. No. 129 of 2020	1
4	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (तेलंगाना)	W.P. No. 23452 of 2018	1
5	बंबई उच्च न्यायालय नागपुर बेंच	W.P. No.6360 of 2015	1
6	कर्नाटक उच्च न्यायालय बैंगलोर	W.P. No. 5546 of 2019	1
7	कर्नाटक उच्च न्यायालय धारवाड बेंच	Crl. P.No.100616 of 2014	1
8	कर्नाटक उच्च न्यायालय धारवाड बेंच	Crl. P.No.100618 of 2014	1
9	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	W.P (Civil) No. 41622 of 2018	1
10	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	W.P (Civil) No. 41903 of 2018	1
11	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	W.P (Civil) No. 41976 of 2018	1
12	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	W.P (Civil) No. 42017 of 2018	1
13	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	W.P. (Civil) No.33501 of 2019	1
14	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,जबलपुर बेंच	W.P No. 8880 of 2019	1

Øekd	U;k;ky; U;k;kf/kdj.k dk uke	dsl ucj	l[;k
15	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,जबलपुर बेंच	W.P No. 6968 of 2017; OA.No. 31/2017	1
16	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,इंदौर बेंच	W.P. No. 6466 of 2020	1
17	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चेन्नई	Original Application No.10/2014	1
18	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CIVIL APPEAL No 5826 of 2019	1
19	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CIVIL APPEAL No 5827 of 2019	1
20	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP 8137/ 2018	1
21	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's 18122 of 2019-18127 of 2019	1
22	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's. 17471 of 2019 -17476 of 2019	1
23	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's18141 of 2019 – 18146 of 2019	1
24	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP.No.539/2014 (Crl)	1
25	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP.No.629/2014 (Crl) Crl. App.1720 of 2015	1
26	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP.No.7951/2014 (Civil)	1
27	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	Civil Appeal No. 9077 of 2019	1
28	तेलंगाना उच्च न्यायालय	WP(PIL) 181 of 2020	1
29	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	W.P. No. 852 of 2020	1
30	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CA No. 3568 3569 of 2020	1
31	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP C No. 000544-/2021	1
32	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (तेलंगाना साइट)	C.C. NO 3306 OF 2018	1
33	एनजीटी, कोलकाता	O.A. No. 64/2020	1
34	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	WP c 21048 of 2020	1
35	कर्नाटक उच्च न्यायालय	WP 14733 of 2020	1
36	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	PIL 30 of 2020	1
37	मद्रास उच्च न्यायालय(एमडी)	WP(MD)6608/2021	1
38	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CA. No.933 of 2020	1
39	गुजरात उच्च न्यायालय	SCA 6176 of 2021	1
40	बंबई उच्च न्यायालय(औरान)	PIL No. 63 of 2021	1
41	कर्नाटक उच्च न्यायालय	WP. No.8579 of 2021	1

13-1-2 lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपीलों को कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप पत्र और भावना में संसाधित किया गया और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निपटाया गया जैसा भी मामला हो कानूनी प्रकोष्ठ की सहायता से हो (तालिका 8)

rkfydk 8: fjikfVx vof/k d nkjku çkIr vkj fu"ikfnr vkjVhvkbl dh lph

क्रमांक	तिमाही	प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या	प्राप्त आरटीआई अपील की संख्या	निष्पादित आरटीआई आवेदनों की संख्या	निष्पादित आरटीआई अपील की संख्या
1	प्रथम तिमाही 01.04.2020 to 30.06.2020	07	02	07	02
2	द्वितीय तिमाही 01.07.2020 to 30.09.2020	08	03	07	02
3	तृतीय तिमाही 01.10.2020 to 31.12.2020	13	02	13	02
4	चतुर्थ तिमाही 01.01.2021 to 31.03.2021	16	02	16	03
	;kx	44	09	43	09

13-1-3 vuc/k dk elknk r;kj djuk

एबीएस समझौतों, समझौता ज्ञापन (एमओयू) और अन्य कानूनी दस्तावेजों सहित समझौतों की कानूनी जांच और प्राधिकरण को कानूनी सलाह प्रदान करना कानूनी प्रकोष्ठ के अन्य कार्यों में से एक है।

13-1-4 ,uthVh] ubl fnYyh d le{k 2016 d vk-, ucj 347 ¼pæHkky flg cuke ;vkvkbl vkj vU;½ dk fuiVku

सभी राज्यों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों की पर्याप्त संख्या के गठन और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए एमओईएफसीसी और एनबीए के खिलाफ पुणे स्थित वकील श्री चंद्रभाल सिंह द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया गया था। तद्नुसार सभी राज्यों को इस मामले में पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया गया था।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा 2016 के ओए 347 दिनांक 09.08.2019 में पारित आदेश के अनुसरण में और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बाद के आदेशों के आधार पर कार्यालय ज्ञापन संख्या सी– 12027/6/2016–CSIII (पीटी) दिनांक 15.01.2020 के अनुसार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एनबीएध 15/30/2019/एसबीबी/एनजीटी/3533 दिनांक 20.01.2020 के माध्यम से दो पीबीआर निगरानी समितियों का गठन किया था, जिसकी गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करके नमूना आधार पर पीबीआर और तदनुसार बैठकें आयोजित की गईं और रिपोर्ट एनबीए को प्रस्तुत की गई।

दिनांक 18/03/2020 के माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली की प्रधान पीठ के आदेश के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने स्थानीय निकायों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन और जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) की तैयारी में प्रगति की निगरानी के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के साथनीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियमित रूप से मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित किये हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2019, 09.08.2019, 18.03.2020 और 16.12.2020 के अनुसरण में जैविक विविधता अधिनियम को पूरे देश में शीघ्रता से लागू करने के लिये एनबीए सभी राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। एमओईएफसीसी के समन्वय से एनबीए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है ताकि बीएमसी की स्थापना की स्थिति और प्रगति की निगरानी और पीबीआर की तैयारी की जा सके। एनबीए ने भी एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है और सुझाव के अनुसार संबंधित मामलों पर उचित कार्रवाई की है। इस संबंध में, एनबीए ने इस अवधि के दौरान संबंधित हितधारकों के साथ तालिका 9 में दिए गए अनुसार 11 बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की है।

rkfydk 9: ch,elh dh LFkkiuk vkj ihchvkj dh rS;kjh dh fLFkfr vkj çxfr dh leh{kk vkj fuxjkuh ds fy, ,lchch / ;Vhchlh ds lkFk gbZ cSBdks dh lwph

Øekad	cSBd	fnukad	LFkku/ b&ek/;e	çfrHkkxh
1	समीक्षा एवं अनुवीक्षण बैठक	28.04.2020	वर्चुअल	एसबीबी, यूटीबीसी, एनबीए
2	,,	29.05.2020	,,	एसबीबी, यूटीबीसी,एमओईएफसीसी,एनबीए
3	,,	29.06.2020	,,	एसबीबी, यूटीबीसी,एमओईएफसीसी,एनबीए
4	,,	30.07.2020	,,	एसबीबी, यूटीबीसी,एनबीए
5	,,	31.08.2020	,,	,,
6	,,	21.09.2020	,,	,,
7	,,	29.10.2020	,,	,,
8	,,	27.11.2020	,,	,,
9	,,	22.01.2021	,,	,,
10	,,	26.02.2021	,,	,,
11	,,	26.03.2021	,,	,,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ के आदेश दिनांक 18/03/2020 के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प्रथम प्रतिवादी) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (द्वितीय प्रतिवादी) की ओर से माननीय एनजीटी को ओ.ए. 347/2016 के संबंध दिनांक 14/09/2020 को ई–मेल के द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, अंतिम रिपोर्ट के अलावा एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ताकि माननीय अधिकरण को पूर्व में पारित आदेशों का पालन करने के लिए उसके बाद की गई प्रगति के बारे में अवगत कराया जा सके।

कोविड–19 महामारी की असाधारण स्थिति के कारण, ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी करते हुए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है। 16.12.2020 को मामले का निपटारा कर दिया गया और अनुपालन की समय सीमा 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है।

13-1-4-1- ihchvkj fuxjkuh lfefr dk dkedkt

2016 के ओ ए 347 के मामले में माननीय एनजीटी आदेश दिनांक 09.08.2019 ने निर्देश दिया कि एमओईएफसीसी की निगरानी समिति एक उपयुक्त तंत्र विकसित करके नमूना आधार पर पीबीआर की गुणवत्ता की निगरानी कर सकती है। इस संदर्भ में, एमओईएफसीसी ने प्रलेखित पीबीआर की गुणवत्ता का आकलन करने और आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने के लिए दो पीबीआर निगरानी समितियों का गठन किया।

2020–21 के दौरान पीबीआर निगरानी समितियों की दो बार बैठक हुई। समिति की तीसरी बैठक 3 जून 2020 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। पीबीआर दस्तावेजों के गुणवत्ता मूल्यांकन की रूपरेखा को सदस्यों द्वारा अंतिम रूप दिया गया। कोविड–19 महामारी के मद्देनजर यात्रा प्रतिबंधों के कारण पीबीआर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन संभव नहीं था। 22 अक्टूबर 2020 को आयोजित समिति की चौथी बैठक में, सदस्यों ने बीएमसी को सक्रिय करने, एसबीबी और बीएमसी के बीच नियमित बातचीत शुरू करने और पीबीआर के गुणवत्ता मूल्यांकन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने की रणनीति की आवश्यकता व्यक्त

की। समिति ने समुदाय और विशेष रूप से राज्य पंचायती राज विभागों के बीच स्थानीय स्तर पर पीबीआर के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया।

13-2- ,lchch vkj dæ 'kkflr çn'kk dh 15oh jk"Vh; okf"kd cBd

राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) की 15 वीं राष्ट्रीय बैठक जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल मोड में 11–12 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। (बीडी अधिनियम) और इस प्रक्रिया में एनबीए के प्रयास। राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मंत्री,एमओईएफसीसी द्वारा किया गया। एसबीबी और यूटीबीसी के विशेष आमंत्रितों, अध्यक्षों और सदस्य सचिवों, सरकारी और गैर–सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों, एनबीए की विशेषज्ञ समितियों और कार्यकारी समूहों के सदस्यों, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के अधिकारियों सहित 150 से अधिक प्रतिभागियों और एनबीए के अधिकारियों ने दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। बैठक में माननीय न्यायमूर्ति, के. रामकृष्णन, दक्षिणी पीठ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भी भाग लिया। उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उद्देश्य को रेखांकित किया और जैविक विविधता अधिनियम की क्षमता पर चर्चा की। लाभ साझा करने के तंत्र की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने अधिनियम में मौजूद दंड प्रावधानों और विनियमों के बारे में भी विस्तार से बताया।

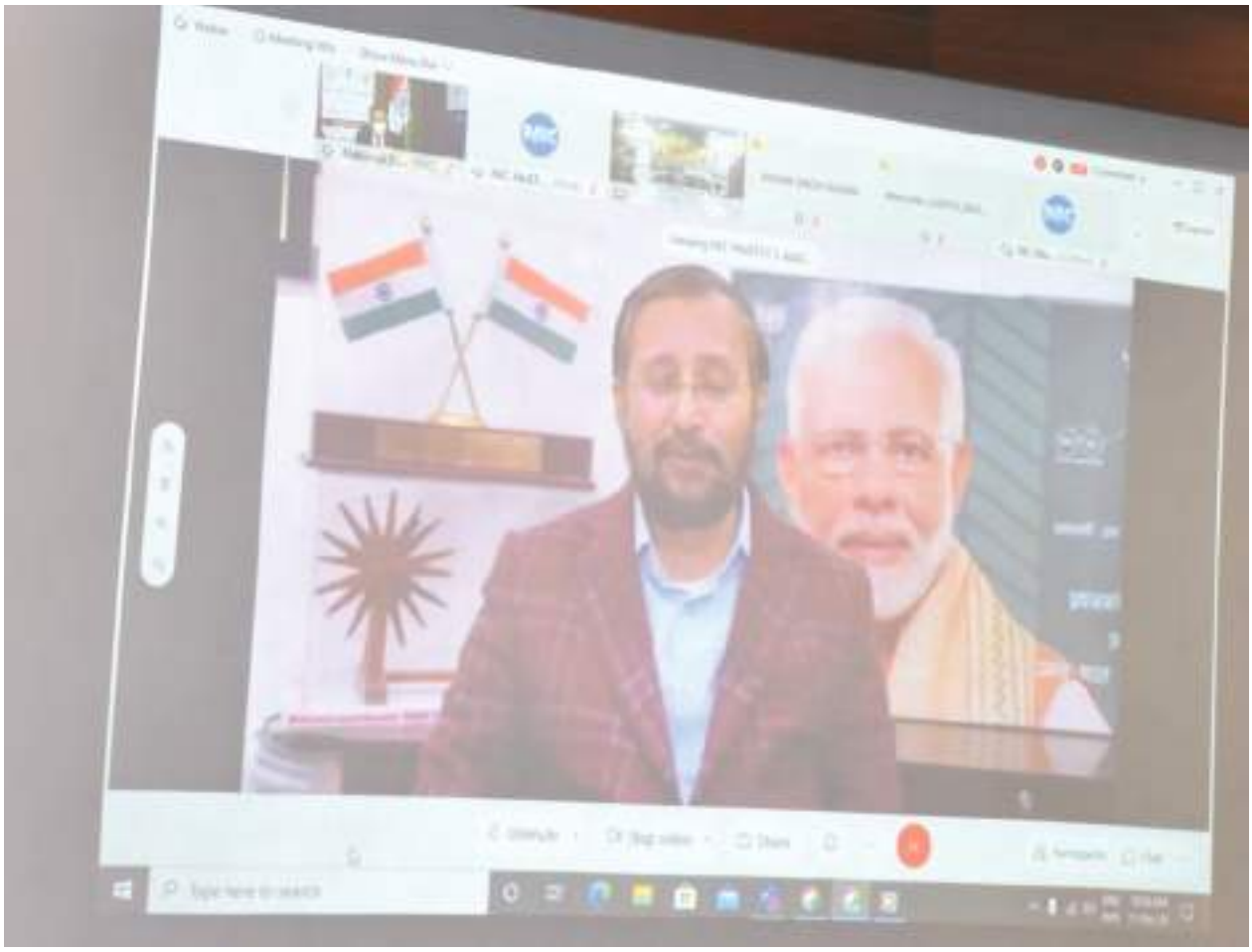

11-12 December, 2020

दो दिवसीय बैठक में सभी विशेषज्ञ समितियों और कार्य समूहों से उनके अब तक किए गए प्रयासों के बारे में विचार–विमर्श किया गया, जिसमें प्रत्येक समिति द्वारा एनबीए को प्रदान की गई सिफारिशें भी शामिल थीं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बैठक को बीएमसी गठन की प्रगति और स्थिति और माननीय एनजीटी द्वारा निर्देशित कार्यों को पूरा करने में पीबीआर की तैयारी के बारे में अवगत कराया। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने हाल के वर्ष में बीडी अधिनियम को लागू करने के लिए की गई गतिविधियों, दृष्टिकोणों के बारे में भी जानकारी दी।

13-3- ,uch, }kjk vk;kftr r/euk, x, egRoi.k dk;Øe

13-3-1- ,uch, d 17o LFkkiuk fnol dk lekjkg

एनबीए का 17वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 2020 को एनबीए, चेन्नई में मनाया गया। प्रो. डॉ. ओमन. वी.ओमेन, पूर्व अध्यक्ष, केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड और माननीय निदेशक, वेनोम सूचना विज्ञान केंद्र, केरल विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि थे और उन्होंने एनबीए के अध्यक्ष डॉ वि.बि.माथुर के साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री जे. जस्टिन मोहन, आईएफएस, सचिव एनबीए, सुश्री शोको नोडा, यूएनडीपी निवासी प्रतिनिधि, नई दिल्ली विशिष्ट अतिथि थीं और उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया। सचिव, एनबीए ने आमंत्रितों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. वि.बि. माथुर, अध्यक्ष, एनबीए द्वारा स्वागत भाषण दिया गया. डॉ. ओमन.वी.ओमेन ने ऑडियो विजुअल जारी किया जो निम्नलिखित हैं "तीन वीडियो की सरल व्याख्या श्रृंखला अर्थात् जैविक विविधता अधिनियम (बीडी अधिनियम), जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) और पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर)।

13-3-2 fgUnh lIrkg dk vk;kstu

एनबीए के कर्मचारियों ने 14 सितंबर, 2020 को हिंदी सप्ताह और हिंदी दिवस मनाया। एनबीए के कर्मचारियों के लिए हिंदी सप्ताह के उत्सव के संबंध में हस्त लेखन और निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कार 14 सितंबर, 2020 को दिए गए। .

13-3-3- lrdZrk tkx:drk lIrkg ¼28 vDVwcj&2 uoacj 2020½

सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर केंद्रीय सतर्कता आयोग और एमओईएफएंडसीसी के निर्देश के अनुसार, एनबीए कर्मचारियों को समारोह के महत्व और महत्व पर एक व्याख्या के साथ सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई।

13-4- ifj;kstuk,a dk;Øe

बीडी अधिनियम और नियमों के माध्यम से अनिवार्य कार्यों के अलावा, एनबीए को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय परियोजनाओं कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। परियोजनाओं कार्यक्रमों का उद्देश्य सीबीडी और बीडी अधिनियम के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और पूरक बनाना है।

भारत की जैव विविधता दृविजन 2030 पर यूएनडीपी–राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण योजना बैठक और जैव विविधता वित्त पहल (2021–2025) विस्तारित चरण II–भारत। 19 और 20 फरवरी 2021 (शुक्रवार और शनिवार), पुडुचेरी

भारत में यूएनडीपी जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए अपनी राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सरकार और विभिन्न हितधारकों का समर्थन कर रहा है। आगामी पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021–2030) और राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन ने हमें अपनी राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने, एक एकीकृत, लिंग उत्तरदायी, पारदर्शी और जैव विविधता संरक्षण के लिए परिवर्तनकारी मार्ग विकसित करने का अवसर प्रदान किया।

भारत में बायोफिन के सफल कार्यान्वयन और जैव विविधता के लिए अभिनव वित्तीय समाधानों के प्रदर्शन में भारत की विशाल क्षमता और अवसरों के आधार पर, भारत में 2021–2025 तक बायोफिन का एक विस्तारित चरण II शुरू हो रहा है। जबकि बायोफिन के विस्तारित चरण II में 3 वित्त समाधानों का प्रदर्शन जारी रहेगा, जैव विविधता के लिए वित्त क्षेत्र और फिनटेक समाधानों के साथ काम करने, जैव विविधता निवेश के लिए कोविड–19 प्रभावों को संबोधित करने, पुनरू के लिए एक मामला बनाने पर भी जोर दिया जाएगा जिससे जैव विविधता हानिकारक व्यय प्रोत्साहन और बायोफिन पद्धतियों को अद्यतन संशोधित करने का अवसर प्रदान होगा। भारत में बायोफिन कार्यान्वयन के अगले पांच वर्षों (2021–2025) के लिए ठोस, परिणामोन्मुखी और देश विशिष्ट कार्यों की योजना बनाने के लिए, यूएनडीपी ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (बायोफिन के लिए राष्ट्रीय मेजबान संस्थान) के साथ 20 फरवरी 2021 को पुडुचेरी में एक दिवसीय योजना बैठक आयोजित की।

13-5 byDV',fud ihiYl ck;kMk;ofLkZVh jftLVj ¼bZ&ihchvkj½ Ýseodl dk fodkl ij jk"Vªh; ijke'kZ

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा 26 नवंबर, 2020 को वर्चुअल मोड में इलेक्ट्रॉनिक पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (ई–पीबीआर) फ्रेमवर्क की तैयारी के लिए आवश्यकता दायरे, प्रक्रिया और मील के पत्थर पर सहभागी जैव विविधता शासन को बढ़ावा हेतु आम सहमति विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय

परामर्श का आयोजन किया गया था। परामर्श में देश के विभिन्न हिस्सों से जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञों और पेशेवरों सहित 93 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सचिव और अतिरिक्त सचिव, एमओईईएफ और सीसी, एनबीए के विशेषज्ञ समिति के सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और संघ क्षेत्र तथा जैव विविधता परिषद (यूटीबीसी)। के प्रतिनिधि शामिल थे।

भारत में प्रत्येक स्थानीय निकाय में पीबीआर तैयार करने की अत्यंत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक लचीला ढांचा तैयार करने और पीबीआर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। इस बैठक में अध्यक्ष, एनबीए ने पीबीआर के गतिशील दस्तावेज तैयार करते समय उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री आर पी गुप्ता, सचिव, एमओईएफसीसी ने अपने विशेष संबोधन में कोविड–19 महामारी के मद्देनजर चुनौतियों और कमजोरियों और जीवन सहायक प्रणाली के रूप में प्रकृति की सुरक्षा के सार को याद दिलाया। उन्होंने जैव विविधता और मानव कल्याण पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने में प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम–एसटीआईएसी) की पहल के बारे में कहा, जिसमें से एनआईएसएआरजी भारत (जैव संसाधन शासन के सतत आकलन के लिए राष्ट्रीय पहल) की पहल महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने आगे व्यक्त किया कि निसर्ग–भारत पहल देश में 'जैव–निरक्षरता' परिदृश्य को 'जैव–साक्षरता' में बदलने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी जो 'आत्म–निर्भर या आत्मनिर्भर' भारत में योगदान दे रही है।

13-6 rVh; vkSj leqæh bZ&ihchvkj ¼ihiqYl ck;ksMk;ofl.Vh jftLVj½ dh rS;kjh ds fy, fn'kkfunsZ'kksa dh leh{kk ds fy, ,d dk;Zdkjh lewg dk xBu

भारत की एक लंबी तटरेखा है, जिसकी सीमा 9 तटीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए जैविक संसाधनों का प्रलेखन अब तक सीमित है और मौजूदा पीबीआर दिशानिर्देशों में बेहतर और प्रासंगिक जानकारी शामिल करने के लिए सुधार की और गुंजाइश है। तटीय और समुद्री क्षेत्रों के लिए किसी भी पीबीआर की गुणवत्ता, स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, इन क्षेत्रों से जैव विविधता संबंधी सभी सूचनाओं को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित करने का प्रयास किया गया था। पीबीआर को इलेक्ट्रॉनिक पीबीआर में बदलने की भी आवश्यकता है। इस संदर्भ में तटीय एवं समुद्री ई–पीबीआर तैयार करने के दिशा–निर्देशों की समीक्षा के लिए दिनांक 26.10.2020 को एक कार्यदल का गठन किया गया था।

एनबीए द्वारा 20 नवंबर 2020 को तटीय और समुद्री ई–पीबीआर की तैयारी के लिए दिशा–निर्देशों की समीक्षा के लिए कार्यकारी समूह की एक परिचयात्मक बैठक वर्चुअल मोड में बुलाई गई थी। कार्य समूह ने प्रासंगिक राष्ट्रीय विधानोंधदिशानिर्देशों के आलोक में तटीय और समुद्री पीबीआर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की जांच करने का प्रयास किया।

13-7- jkT; tSo fofo/krk cksMksZa dh xfrfof/k;k¡

2020–21 का वर्ष जैव विविधता शासन से संबंधित संस्थागत तंत्र के नियमित कामकाज में एक आदर्श बदलाव का गवाह बना। कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने एनबीए, एसबीबी/यूटीबीसी में परिचालन प्रक्रिया को प्रभावित किया और क्रियाविधि को भौतिक से वर्चुअल में बदल दिया। कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बैठकें आभासी प्रणाली में आयोजित की गई हैं। जमीनी स्तर के कर्मचारियों की प्रतिबंधित आवाजाही, कई क्षेत्रों में गैर–पहुंच और प्रगति के निम्न स्तर के कारण बीएमसी की स्थापना और पीबीआर के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पर महामारी का प्रभाव पड़ा। हालांकि, बाद के चरणों में स्थिति में सुधार हुआ और गतिविधियां काफी हद तक फिर से शुरू हो गईं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी आधिकारिक कार्यों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया और जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए गंभीर प्रयास किए।

13-7-1 vka/kz çns'k

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश एसबीबी ने तीन बोर्ड बैठकें बुलाईं। एपीएसबीबी ने 31 मार्च 2021 तक 14157 बीएमसी का गठन किया है । इसने 2020–21 के दौरान गांव, नगर पालिका और जिला स्तर पर 6839 बीएमसी की स्थापना की सुविधा प्रदान की है। राज्य में तैयार किए गए 12794 पीबीआर में से 12026 को इस वर्ष के दौरान प्रलेखित किया गया है । बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के जैव विविधता का परिचय घास के मैदान और आर्द्रभूमि पर लघु फिल्में निर्मित की हैं। बोर्ड ने राज्य के विभिन्न परिदृश्यों पर वर्ष 2021 के लिए एक टेबल कैलेंडर पेश किया है। इस अवधि के दौरान, एपीएसबीबी ने हर्बल गार्डन विकसित करने, ई–पीबीआर की तैयारी, बीएचएस की पहचान, डीएफओ, टीएसजी जैसे हितधारकों और पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए आरईटी प्रजातियों के लिए नर्सरी तैयार करने सहित कई वर्चुअल बैठकें आयोजित कीं। बोर्ड ने श्रीशैलम और शेषचलम क्षेत्रों में पवित्र उपवनों, बीएच और जैव विविधता पार्कों के लिए भूमि और आरईटी प्रजातियों के लिए प्रस्तावित नर्सरी की पहचान के लिए भौतिक बैठकें और क्षेत्र निरीक्षण भी किए थे। विशाखापट्नम में वन्यजीव दिवस मनाया गया और स्कूली छात्रों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

13-7-2 v#.kkpy çns'k

राज्य ने इस वर्ष के दौरान अब तक ग्राम पंचायत स्तर पर 1779 बीएमसी और जिला स्तर पर 25 बीएमसी का गठन किया है । 31 मार्च 2021 तक, राज्य ने 2020–21 के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर 1779, नगर पालिका स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 25 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया है । राज्य जैव विविधता बोर्ड ने भी कोविड–19 प्रतिबंधों के कारण प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आईडीबी–2020 का आयोजन किया। छात्रों, बीएमसी और अन्य हितधारकों के लिए जैव विविधता और पीबीआर के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत 21 मार्च, 2021 को ईटानगर जैव विविधता वॉक आयोजित किया गया था।

13-7-3 v l e

राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 18 अगस्त 2020 को अपनी 26वीं बैठक बुलाई थी । असम एसबीबी ने 31 मार्च 2020 तक सभी स्थानीय निकायों में बीएमसी बनाने और पीबीआर का दस्तावेजीकरण करने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया था। बोर्ड ने असम की संकटग्रस्त प्रजातियोंष और "माजुली जैव विविधता विरासत स्थल पर दो पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं । इस अवधि के दौरान राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 और वन महोत्सव को शानदार तरीके से मनाया। इस वर्ष बीएमसी के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। कामरूप, नगांव और मारीगांव जिलों में भी दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोर्ड ने व्यवस्थित मूल्यांकन के माध्यम से ब्दमउेंचपे ेंउमदेपे के लिए संरक्षण कार्य योजना तैयार करने का काम शुरू किया है। इस क्षेत्र में पौधों की विविधता और नृवंश–वनस्पति विज्ञान के संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए इस वर्ष कार्बी–आंगलोंग जिले में जंगली फसलों की खोज शुरू हुई।

13-7-4 fcgkj

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई थी। राज्य में कुल 9099 बीएमसी में से, 1958 समितियों का गठन 2020–21 के दौरान किया गया था। इस वर्ष कुल 8464 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें 8386 ग्राम स्तर पर, 40 शहरी नगरपालिकाओं में और 38 जिला स्तर पर तैयार किए गए है । पीबीआर की तैयारी को सुविधाजनक बनाने के लिए वैज्ञानिकों, किसान सलाहकारों (पंचायतों में) और गंगा प्रहरी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए है । अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

13-7-5 NÙkh l x<

राज्य ने अब तक 12,004 बीएमसी का गठन किया है, जिनमें से 703 इस वर्ष के दौरान स्थापित किए गए थे। 31 मार्च 2021 तक, राज्य ने 2605 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया था, जिनमें से 2533 को 2020–21 के दौरान तैयार किया गया है । बोर्ड ने जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए धारा 23(बी) के तहत 2 आवेदनों को मंजूरी दी थी। बोर्ड ने बीएमसी की स्थापना और पीबीआर की तैयारी के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए है ।

13-7-6 xkok

गोवा एसबीबी ने 2020–21 के दौरान 2 बोर्ड बैठकें 14 जागरूकता कार्यक्रम और 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। गोवा राज्य में आजीविका हस्तक्षेपों के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने स्थानीय जैव संसाधनों से विकसित उत्पादों के लिए ब्रांड नाम 'गो वन' पेश किया है (अधिसूचना संख्या 2–93–2020 डीआईआर ईएनवीटी और सीसी के माध्यम से) 885, गोवा सरकार के राजपत्र में दिनांक 12 नवंबर 2020)। जीएसबीबी ने सभी 191 ग्राम पंचायतों, 13 ब्लॉकों और 1 नगरपालिका स्तर पर बीएमसी के गठन और पीबीआर तैयार करने का कार्य पूरा किया। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, जीएसबीबी को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकता के लिए प्रधान मंत्री योजना के तहत

प्रस्तावित योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रमुख राज्य तकनीकी संस्थान के रूप में नियुक्त किया गया है । जीएसबीबी को आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा के लिए ज्ञान साथी के रूप में भी नामित किया गया है । जीएसबीबी ने वस्तुतः जैविक विविधता 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। जीएसबीबी ने वर्ष 2020 के लिए गोवा राज्य जैव विविधता संरक्षण पुरस्कार की स्थापना की थी। जैव विविधता पुरस्कार श्री जानू घुरखो गांवकर (दक्षिण गोवा) और श्री सूर्यकांत शंकर गांवकर (उत्तरी गोवा) को प्रदान किए गए। व्यक्तिगत श्रेणी और अगरवाडो चोपडेम बीएमसी और श्रीस्थल बीएमसी ने बीएमसी श्रेणी के तहत उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जैव विविधता पुरस्कार प्राप्त किए।

13-7-7 xqt jkr

गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने वर्ष के दौरान दो बैठकें आयोजित कीं। इस वर्ष राज्य में 13448 बीएमसी में से 5774 का गठन किया गया है । राज्य में तैयार किए गए कुल 1841 पीबीआर में से 319 का दस्तावेजीकरण इस वर्ष किया गया है । गुजरात बोर्ड ने इस अवधि के दौरान धारा 23 (बी) के तहत जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए 5 आवेदनों को मंजूरी दी है ।

13-7-8 gfj;k.kk

इस अवधि में हरियाणा एसबीबी द्वारा दो (छठी और सातवीं) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। राज्य में कुल 6435 बीएमसी का गठन किया गया है । इस अवधि के दौरान कुल 6311 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है । हमारी जैव विविधता – हमारी विरासत विषय पर एक भित्ति चित्र तैयार किया गया है । अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करके बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जैसे स्कूली बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग और प्रकृति फोटोग्राफी। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा एक विशेष संदेश स्थानीय समाचार पत्र में हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था और व्यापक प्रचार के लिए सामाजिक मीडिया का भी उपयोग किया गया था। ष्कोविड 19 – जैव विविधता की सुरक्षा के लिए जागृति कॉल विषय पर एक ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता, बोर्ड के उद्देश्यों और समाज को होने वाले लाभों पर विशेष रूप से ग्राम पंचायतों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों और ब्लॉक समितियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सामान्य और स्थानीय निकायों में इस अवधि के दौरान कार्यशालाओं की श्रृंखला, सम्मेलन, वीडियो सम्मेलन और सरपंचों और पंचायत कार्यालयों के लिए बैठकें आयोजित की गईं।

13-7-9 fgekpy çn'k

बोर्ड ने पीबीआर के पर्यवेक्षण, जांच और मूल्यांकन के लिए जिला और ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया है। स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर इस साल अब तक स्थापित सभी 3,371 बीएमसी का पुनर्गठन किया गया है। पीबीआर तैयार करने के लिए प्रदेश के 79 प्रखंडों में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। राज्य के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से पीबीआर की तैयारी की सुविधा के लिए स्नातक प्रशिक्षुओं को लगाया गया था। मॉडल एबीएस केस के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। जैव संसाधनों के उपयोगकर्ताओं के लिए एबीएस के प्रावधानों के संबंध में समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कि गई थी। पीबीआर संबंधित डेटा को होस्ट करने और दर्ज करने के लिए एचपीएसबीबी के वेब पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेश किया गया है।

13-7-10 tEe vkj d'eh j

जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद की स्थापना बैठक 25 फरवरी 2020 को हुई थी। परिषद ने इस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4623 बीएमसी में से 276 बीएमसी का गठन किया है। परिषद ने जैविक विविधता 2020 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्चुअल मोड में मनाया था।

13-7-11 >kj[kM

झारखंड जैव विविधता बोर्ड ने इस वर्ष 24 जुलाई 2020 को एक बैठक आयोजित की। राज्य में स्थापित कुल 4684 बीएमसी में से, 25 बीएमसी का गठन किया गया और इस वर्ष के दौरान 3658 पीबीआर तैयार किए गए। बोर्ड द्वारा वर्चुअल मोड में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया गया।

13-7-12 dsjy

केरल एसबीबी ने रिपोर्टिंग अवधि में दो बोर्ड बैठकें बुलाईं। राज्य में 1200 बीएमसी में से बोर्ड ने इस अवधि के दौरान 524 बीएमसी का पुनर्गठन किया। केएसबीबी ने जैविक विविधता अधिनियम के नियामक प्रावधानों को लागू करने के लिए रेंज अधिकारियों के लिए एक दिशानिर्देश प्रकाशित किया, जैव विविधता के प्रलेखन पर एक कार्यप्रणाली मैनुअल और ई–पीबीआर की निगरानी, व्यापार योग्य जैव–संसाधनों पर एक मैनुअल और एबीएस की क्षमता पर मलयालम भाषा में छह ब्रोशर प्रकाशित किया है।

13-7-13 dukVd

इस अवधि के दौरान कर्नाटक ने तीन (44वीं, 45वीं और 46वीं) बोर्ड बैठक आयोजित की । राज्य में कुल 6554 बीएमसी में से, 341 का गठन इस वर्ष किया गया है , जबकि 6554 पीबीआर पूरे हुए, इस अवधि के दौरान 4443 का दस्तावेजीकरण किया गया है। राज्य बोर्ड ने जैविक विविधता अधिनियम का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान धारा 23 (बी) के तहत जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए कुल 16 अनुमोदन दिए गए थे और धारा 24 (1) के तहत भारतीय संस्थाओं से 109 पूर्व सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री, श्री बी एस येदियुरप्पा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जैविक विविधता 2020 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्चुअल मोड में मनाया गया। बोर्ड ने संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और लाभों के समान बंटवारे में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तीन व्यक्तियों को पुरस्कृत किया है, क्रमशः शिमोगा, येल्लापुरा और गडग से श्री श्रीपद बिचुगट्टी, श्री शांताराम सिद्दी और श्री मंजूनाथ नाइक। इस वर्ष के दौरान, बीएमसी को मजबूत करने और बीएमसी लाभार्थियों के बीच वितरण द्वारा एबीएस फंड के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। बोर्ड ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002, धारा 32(2) और 44(2) के तहत निर्दिष्ट उद्देश्य और गतिविधियों के लिए स्थानीय जैव विविधता कोष (एलबीएफ) को एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) अनुदान के उपयोग पर 18.11.2020 को एक अधिसूचना जारी की है।

13-7-14 e/; çn'k

समीक्षाधीन अवधि के दौरान मध्य प्रदेश एसबीबी ने बोर्ड की एक बैठक बुलाई। बोर्ड ने अब तक कुल मिलाकर 23617 बीएमसी का गठन किया है, जिनमें से 22866 ग्राम स्तर पर, 313 ब्लॉक स्तर पर, 386 नगर पालिका स्तर पर और 52 जिलों में हैं। इस अवधि के दौरान एमपीएसबीबी ने एमपी जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, और दो प्रकाशन जारी किए हैं, बीडी अधिनियम– कार्यान्वयन ने एबीएस का आसान मध्य प्रदेश मॉडल, एमपी के व्यापार योग्य जैव संसाधनों की क्षमता और पन्ना 10 वर्ष पन्ना बाघ महोत्सव (2009–2019)" जारी किया है। इस वर्ष बोर्ड द्वारा कोविड –19 महामारी जैव विविधता और हमारा भविष्य से संबंधित टॉक शो पर एक फिल्म तैयार की गई है। एमपी एसबीबी ने जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए धारा 23 (बी) के तहत 1058 आवेदनों को मंजूरी दी है और विभिन्न अधिकारों द्वारा जैविक विविधता अधिनियम के उल्लंघन के लिए धारा 55 (2) के तहत 35 शिकायतें दर्ज की हैं। बोर्ड ने कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, राज्य स्तरीय जैव विविधता प्रश्नोत्तरी, रेडियो कार्यक्रम (चलती रहे जिंदगी) और राज्य वन्यजीव सप्ताह आयोजित किया है। गौरैया संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भोपाल में कृत्रिम नेस्ट बॉक्स का वितरण किया गया। बोर्ड ने व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण की सुविधा के लिए वार्षिक राज्य जैव विविधता पुरस्कारों की स्थापना की है।

13-7-15 egkjk"V

महाराष्ट्र ने पुणे, जलगांव और सिंधुदुर्ग जिलों में 4 नए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए। राज्य में कुल 28649 बीएमसी में से, बोर्ड ने पहले सभी बीएमसी का गठन किया है और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 7563 पीबीआर तैयार किए हैं।

13-7-16 ef.kiqj

मणिपुर एसबीबी बोर्ड ने इस साल 4 अगस्त, 2020 को एक बैठक बुलाई। 31 मार्च, 2021 तक इस वर्ष के दौरान कुल 2221 बीएमसी का गठन किया गया और 800 बीएमसी की स्थापना की गई। अब तक तैयार किए गए 71 पीबीआर में से 34 को रिपोर्टिंग अवधि में प्रलेखित किया गया है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट क्षेत्र में मणिपुर के कीट जीवों पर एक कैटलॉग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।

13-7-17 es?kky;

मेघालय एसबीबी ने बोर्ड का पुनर्गठन किया और इस वर्ष चार बैठकें बुलाईं। 31 मार्च, 2021 तक इस वर्ष के दौरान कुल 5451 बीएमसी का गठन किया गया और 1837 बीएमसी की स्थापना की गई। अब तक तैयार किए गए 142 पीबीआर में से 64 को रिपोर्टिंग अवधि में प्रलेखित किया गया है 360 पीबीआर की तैयारी अंतिम चरण में है। जैव विविधता 2020 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्चुअल मोड में मनाया गया और इस अवसर पर मेघालय एसबीबी द्वारा जैव विविधता पर 3 पोस्टर जारी किए गए।

13-7-18 fetksje

राज्य में 894 बीएमसी में से 450 बीएमसी का गठन किया गया है और इस अवधि के दौरान 879 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 को छात्रों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी के साथ बातचीत, चर्चा, फोटो प्रतियोगिता आदि आयोजित करके वर्चुअल मोड में मनाया गया।

13-7-19 ukxkyaM

नागालैंड एसबीबी ने 2020–21 में बोर्ड की एक बैठक आयोजित की। राज्य में गठित 1128 बीएमसी में से 114 बीएमसी का गठन रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किया गया है। इस वर्ष के दौरान कुल 1110 बेस लाइन पीबीआर तैयार किए गए, जो कोविड–19 महामारी के बीच प्रतिबंधित क्षेत्र गतिविधियों के कारण प्रभावित हुए।

जैविक विविधता 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उत्सव के दौरान यू ट्यूब में हमारे समाधान प्रकृति में हैं नामक एक लघु फिल्म विकसित और जारी की गई थी। बीएमसी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और पीबीआर तैयारी और एबीएस तंत्र की कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण दिया गया। जैव विविधता संरक्षण के लिए स्कूलों में आईटी अवसंरचना विकसित करने की परियोजना नागालैंड के 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लागू की गई थी।

13-7-20 vkfM'kk

ओडिशा जैव विविधता बोर्ड ने 2020–21 में एक बैठक बुलाई थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ग्राम, जिला और ब्लॉक स्तर पर अब तक स्थापित कुल 7256 बीएमसी में से 3929 समितियों का गठन किया गया है। व्यापारियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामलों को स्थापित करने के लिए बोर्ड ने कई पूछताछ की है। बोर्ड ने ओडिशा में एशियाई हाथियों के 20 पसंदीदा खाद्य पौधे पर एक ब्रोशर प्रकाशित

किया है और ओडिशा में जंगली जानवरों को संभालने, बचाव और छोड़ने पर शैक्षिक सामग्री प्रकाशित की है। ओडिशा की जैव विविधता पर एक वीडियो वृत्तचित्र प्रक्रियाधीन है। इस वर्ष राज्य के 13 पारिस्थितिक पर्यटन स्थलों पर बीएमसी के लिए 11 क्षमता निर्माण कार्यक्रम और ईको–गाइड के लिए 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

13-7-21 i tkc

पंजाब जैव विविधता बोर्ड ने विभिन्न स्तरों पर 13,599 बीएमसी का गठन किया है, जिनमें से 98 बीएमसी का गठन रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान गांव और शहरी निकायों में किया गया है। बोर्ड ने इस वर्ष कुल 11,312 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें ग्राम स्तर पर 11,001, ब्लॉक स्तर पर 135, नगर पालिकाओं में 167 और जिला स्तर पर पीबीआर शामिल हैं। पीएसबीबी ने जैव विविधता के विषय पर पंजाबी

में मासिक पत्रिका निरंतर सोच का एक विशेष अंक प्रकाशित किया। बोर्ड ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पूरे राज्य में हमारे समाधान प्रकृति में हैं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (IDB), 2020 के उपलक्ष्य में 26 कार्यक्रमों या कार्यक्रमों का आयोजन किया। 22 मई को वर्चुअल मोड में इको–सिख चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से पंजाब की जैव विविधता पर एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग (डीआरडीपी) और स्थानीय सरकार विभाग (डीएलजी), सरकार के अधिकारियों के लिए बीएमसी के गठन और पीबीआर की तैयारी के लिए जागरूकता सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सीएमएस वतावरन के सहयोग से जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर एक वर्चुअल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था। राज्य में कार्यरत निर्माताओं और व्यापारियों का विवरण इस वर्ष आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, राज्य औषधि और लाइसेंसिंग प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों से एकत्र किया गया है।

13-7-22 jkt LFkku

राज्य में 10,406 बीएमसी में से 123 वर्ष 2020–21 के दौरान स्थापित किए गए हैं। अब तक प्रलेखित सभी 4997 पीबीआर इस वर्ष के दौरान तैयार किए गए हैं, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड ने रेगिस्तान जैव विविधता पर एक लघु फिल्म तैयार की। भरतपुर वन्यजीव प्रभाग के कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता अध्ययन कार्यशाला के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। बोर्ड ने स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न पक्षियों की पहचान करने के लिए एक ऐप विकसित किया है।

सार्वजनिक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय तथा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालवाड़ द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और बोर्ड द्वारा समर्थित किया गया। इसी तरह, टोंक जिले में 50 बीएमसी के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यशाला में बीएमसी को पीबीआर तैयार करने की प्रक्रिया के साथ उन्मुख किया गया है। पौधों की पहचान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुभवी पैरा–टैक्सोनोमिस्ट और शाकंभर पीजी कॉलेज के सहयोग से 20 ग्राम पंचायतों और 2 नगरपालिका क्षेत्रों में पीबीआर तैयार किया गया है। राजस्थान के फ्लोरा को उनके पारिस्थितिक, औषधीय और आर्थिक महत्व पर विशेष जोर देते हुए 2412 से अधिक फूलों के पौधों का वर्णन करते हुए प्रकाशित किया गया था। बोर्ड ने चित्तौड़गढ़ जिले के सीतामाता अभयारण्य में उड़ने वाली गिलहरी पर एक शोध अध्ययन किया है।

13-7-23 rfeyukMq

समीक्षाधीन अवधि के दौरान तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड ने अपनी 9वीं बैठक बुलाई। बोर्ड ने सभी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर सभी बीएमसी का गठन किया और अब तक 13604 पीबीआर तैयार किए हैं। बोर्ड ने नोडल अधिकारियों के लिए कुड्डालोर, कांचीपुरम, नागपट्टिनम, तिरुवरुर रामनाथपुरम और नीलगिरी में जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया और पीबीआर की तैयारी के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की। बोर्ड ने भारतीय संस्थाओं से प्राप्त 128 आवेदनों को मंजूरी दी है।

13-7-24 r|y|xkuk

अब तक, 13,426 बीएमसी में से, तेलंगाना राज्य ने ग्राम स्तर पर 12749, मंडल स्तर पर 537 और नगरपालिका स्तर पर 140 का गठन किया है। बोर्ड ने व्यापक प्रचार के लिए 27 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 मनाया । इसने बोर्ड को दुनिया भर में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक महीने में जैव विविधता संरक्षण और जागरूकता पर अधिकतम ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एशियाई रिकॉर्ड बुक से एक पुरस्कार प्राप्त किया है।

13-7-25 f=i|jk

त्रिपुरा जैव विविधता बोर्ड ने 26 मार्च 2021 को अपनी आम सभा की बैठक की। बोर्ड ने इस साल एक अधिसूचना जारी कर एसडीएफओ को टीबीबी की ओर से एबीएस समझौते को प्राप्त करने, संसाधित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया। राज्य ने अब तक 1264 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया है। बोर्ड ने जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए धारा 23 (बी) के तहत 19 आवेदनों को मंजूरी दी है। इस अवधि के दौरान, तुलसीखर आरडी ब्लॉक, खोवाई जिले के तहत ट्विंचिंगरामबारी और पुरबा बदलाबाड़ी बीएमसी ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2020 प्राप्त किया।

13-7-26 mÙkj çn'k

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने इस वर्ष दो बैठकें कीं। राज्य ने अब तक सभी 59,407 बीएमसी का गठन किया था और स्थानीय निकायों में इतनी ही संख्या में पीबीआर तैयार किए हैं। बोर्ड ने समीक्षाधीन अवधि में कई कार्यक्रम और कार्यक्रम आयोजित किए थे जैसे जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैव विविधता महोत्सव, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, गिद्ध जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वन्यजीव सप्ताह, तितली और गौरैया सप्ताह आदि। बड़ी संख्या में प्रतिभागी, वर्चुअल मोड में आयोजित इन कार्यक्रमों में स्कूल और कॉलेज के छात्र सक्रिय रूप से शामिल हुए।

13-7-27 if'pe cxky

इस अवधि में पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड द्वारा दो (39वीं और 40वीं) बैठकें बुलाई गईं। राज्य में विभिन्न स्तरों पर स्थापित 3828 बीएमसी में से केवल 32 का गठन समीक्षाधीन अवधि में किया गया है। अब तक 3739 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 3023 2020–21 में तैयार किए गए हैं। बोर्ड ने जैव विविधता पर 5 फील्ड गाइड बुक प्रकाशित की है। बोर्ड ने आवेदकों को धारा 23 (बी) के तहत जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए 4 अनुमोदन प्रदान किए थे और धारा 24 (1) के तहत 4 भारतीय संस्थाओं से पूर्व सूचना प्राप्त की थी। युवा छात्रों के बीच जैव विविधता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए दो जैव–यात्राओं का आयोजन किया गया था। कोविड–19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उत्सव सहित कई ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित

किए गए। जिला और ब्लॉक स्तर पर पंचायत पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभापति, कर्मदाक्ष्य और बीडीओ ने अच्छी संख्या में भाग लिया।

13-8 l?k jkT; {k= tSo fofo/krk ifj"knks dk xBu

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 की उप–धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनबीए ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के तहत निर्देशों के तहत, सं. CS-C1/2017/6/2019-CS-III दिनांक 30.12.2019 ने जैव विविधता परिषदों (UTBCs) के गठन और जैविक विविधता अधिनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी शक्तियां और कार्य सौंपे हैं। अब तक, 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने जैव विविधता परिषदों का गठन किया है, जिनमें से चंडीगढ़ (14.05.2020), दमन और दीव (25.02.2020), जम्मू और कश्मीर (02.09.2020) और लद्दाख (30.07.2020) ने अपनी जैव विविधता परिषदों की स्थापना की है।

13-9 ,lchch/;Vhchlh dks fn, x, vuqnku dk fooj.k ¼2020&21½

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) को जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है। निर्दिष्ट घटकों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उद्देश्य एसबीबी / यूटीबीसी को मजबूत बनाना है। 2020–21 में दिए गए कुल अनुदानों में से, रु.2,27,04,217/– अनुबंधित कर्मचारियों को नियुक्त करने और इन कार्यालयों को मजबूत करने के लिए 22 एसबीबी और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मजबूत करने के लिए जारी किया गया है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, एनबीए को अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) और अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजाति) उप–योजना के विशेष घटक के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में जैविक विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ। इस योजना के तहत, रुपये की वित्तीय सहायता रु 65,00,000/– 4 राज्यों (एससी एसपी के तहत) और इस अवधि के दौरान 64,95,000/– से 8 राज्यों (एसटी एसपी के तहत)। उपरोक्त के अलावा, पीबीआर तैयार करने के लिए 5 राज्यों को 99,61,000/– रुपये जारी किए गए थे।

अनुलग्नक

vuqyXud 1

प्राधिकरण के अध्यक्ष

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 (4ए) के अनुसार प्राधिकरण के सदस्य इस प्रकार हैं:

v/;{k	vof/k
डॉ . वि.बि. माथुर	1 सितंबर 2019– वर्तमान तक
डॉ. ए.के जैन, आईएएस	09 फरवरी 2018 – 31अगस्त 2019
डॉ (सुश्री). बी. मीनाकुमारी	09 फरवरी 2016 – 08 फरवरी 2018
श्री हेमपांडेय, आईएएस	06 फरवरी 2014 – 08फरवरी 2016
डॉ. बालकृष्ण पिसुपति	12 अगस्त 2011 – 05 फरवरी 2014
श्री एम.एफ. फारूकी, आईएएस	11 नवंबर 2010 – 11 अगस्त 2011
डॉ. पी.एल. गौतम	31 दिसंबर 2008 – 3 नवंबर 2010
श्री पी.आर. मोहंती, आईएफएस	01 अक्तूबर 2008 – 31 दिसंबर 2008
श्री जी.के. प्रसाद, आईएफएस	20 मई 2008 – 30 सितंबर 2008
डॉ. एस. कन्नैयन	20 मई 2005 जव 19 मई 2008
श्री विश्वनाथ आनन्द, आईएएस	01 अक्तूबर 2003 – 14 जुलाई 2004

vuqyXud 2

lxBu pkVZ

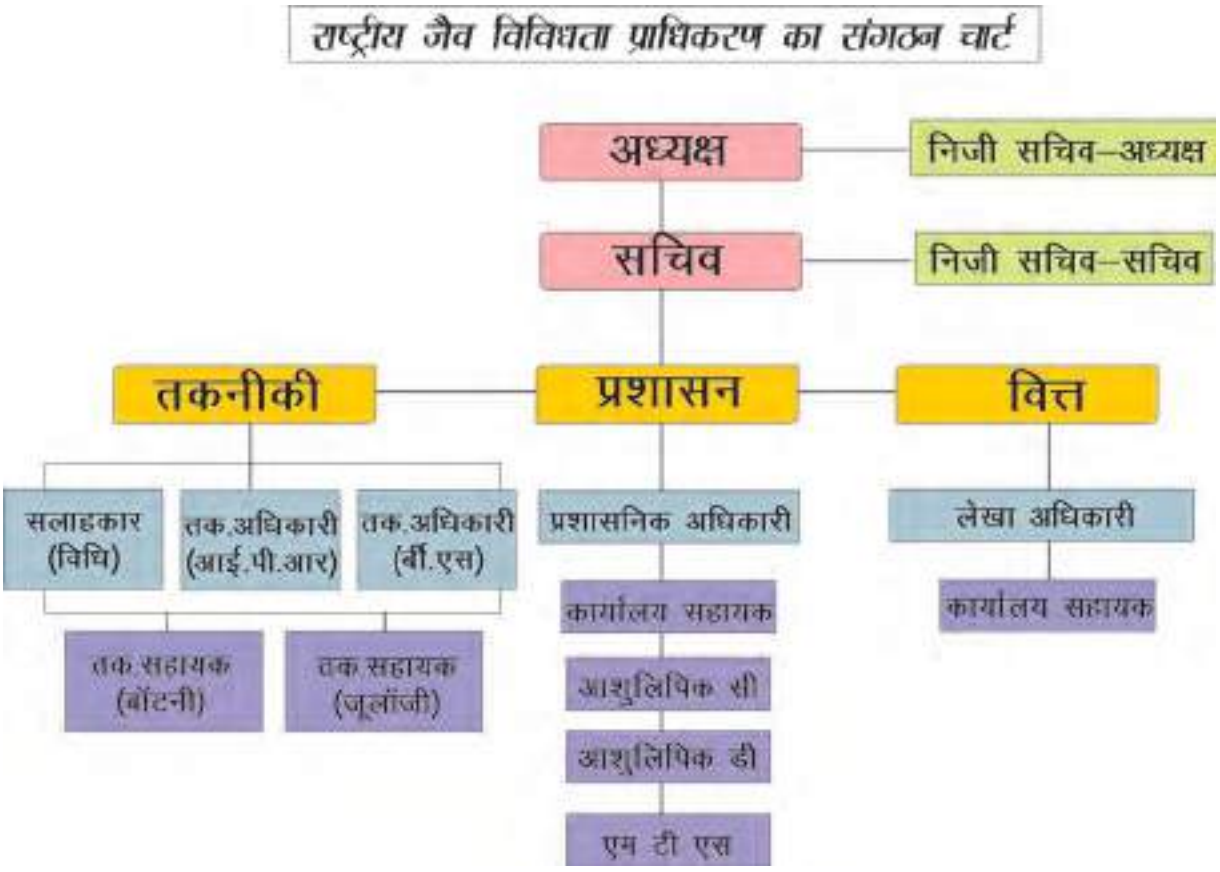

उपरोक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा, एनबीए नियम 12(6) के अनुसार परामर्शदाताओं द्वारा तकनीकी और विविध मामलों में सहायता करने के लिये समर्थित है.

vuqyXud 3

भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या

in	e tj	Hkjh gb	fjä
अध्यक्ष	1	1	.
सचिव	1	1	.
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	.
निजी सचिव - अध्यक्ष	1	1	.
लेखा अधिकारी	1	1	.
तकनीकी अधिकारी	2	2	.
सलाहकार (विधि)	1	1	.
निजी सचिव - सचिव	1	0	1
कार्यालयध्कंप्यूटर सहायक	2	2	.
तकनीकी सहायक	2	2	.
आशुलिपिक –सी	1	1	.
आशुलिपिक –डी	1	1	.
एमटीएस	1	1	.
योग	16	15	1

vuqyXud 4

ukxfjd pkVj

–f"V

भारत की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग और लोगों की भागीदारी के साथ संबंधित ज्ञान, वर्तमान और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए लाभ के बंटवारे की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है।

fe'ku ¼/;;½

जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियम, 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

vf/kn'k

भारत के जैव संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों की पुष्टि करना और जैव संसाधनों और या संबंधित ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने में योगदान देना।

जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा, उसके घटकों के सतत उपयोग और लाभों के समान साझाकरण से संबंधित नीति और सहायता प्रदान करना।

जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशा–निर्देशों, विस्तार सामग्री के निर्माण और हितधारकों तक पहुंचने के लिए गतिविधियों को विनियमित करना और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उचित और समान लाभ साझा करना सुनिश्चित करना।

अन्य देशों के व्यक्तियों या भारत के किसी भी जैविक संसाधनों या भारतीय मूल के ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान को बौद्धिक संपदा अधिकार देने का विरोध करने के लिए उपाय करना।

राज्य सरकारों को उनके क्षेत्र विशिष्ट जैव विविधता के बारे में सलाह देना, और विरासत स्थलों को सूचित करना और उनके प्रबंधन और टिकाऊ उपयोग के लिए उपाय भी सुझाना।

अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को मार्गदर्शन, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य कार्यों को करना।

fgr/kkjd

जैव विविधता एक बहुआयामी विषय है जिसमें जैविक विविधता में विविध गतिविधियों, पहलों और हितधारकों को शामिल किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत राज के संस्थान और सिविल सोसायटी संगठन, उद्योग, गैर सरकारी संगठन, अनुसंधान और विकास संस्थान, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक बड़े पैमाने पर शामिल हैं।

çLrkfor lsok,a

जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित संवर्धन। राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों, प्रायोजकों के अध्ययन और अनुकूली ६ परिचालन जांच और आवश्यक मार्गदर्शन के रूप में आवश्यक अनुसंधान, और आवश्यक के रूप में अध्ययनों की कमीशनिंग की गतिविधियों का समन्वय।

जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। भारत में होने वाले जैविक संसाधनों तक पहुंच या संबंधित ज्ञान, अनुसंधान के परिणामों को स्थानांतरित करने के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार की मांग के लिए, अनुसंधान के लिए या व्यावसायिक उपयोग के लिए या जैव–सर्वेक्षण और जैव–उपयोग के लिए पहुँच वाले जैव–संसाधन के तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

सभी हितधारकों द्वारा जैव–संसाधन तक पहुंच को सुगम बनाना और पारदर्शी तरीके से जैव विविधता के उपयोगकर्ताओं और संरक्षकों के बीच समान लाभ साझा करना सुनिश्चित करना।

f'kdk;r fuokj.k r=

प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, लोक शिकायतों के निवारण के लिए नामित अधिकारी है। किसी भी शिकायत को इस पते पर संबोधित किया जा सकता है –

प्रशासनिक अधिकारी
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,
टाइसल बायो पार्क,
5 वीं मंजिल, सीएसआईआर रोड, तारामणि,
चेन्नई –600113
फोन: 044–22542777, 1075; विस्तार: 27
फैक्स: 044–22541200
b&esy: **admn@nba.nic.in**

ukxfjdk / xkgdk ls mEehns

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का पालन करना और इसके तहत बनाए गए और नियमों का पालन करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भावना को बढ़ावा देना और प्रकृति के नियमों के प्रति सम्मान और जन मानस के समग्र हित के लिये एनबीए और एसबीबी द्वारा उपरोक्त गतिविधियों को पूरा करने के लिए सहयोग का प्रदान करना।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली110002

DGA/ESD/EA/142/SAR/NBA Chennai/2020-21/763

दिनांक

21 DEC 2021

सेवा में,

Dr. V. B. Mathur,
Chairman,
National Biodiversity Authority,
5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR, Road, Taramani,
Chennai - 600 113

विषय: **Separate Audit Report on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year 2020-21**

महोदय,

मुझे वर्ष 2020-21 के लिए National Biodiversity Authority, Chennai का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीया,

संलग्नक:– पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

निदेशक (पर्या.ले.)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31st March 2021

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2021 and Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of Biological Diversity Act. These financial statements are the responsibility of the National Biodiversity Authority, Chennai. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Biodiversity Authority, Chennai as required under Section 29(2) of the Biological Diversity Act, in so far as it appears from our examination of such books.

iv) Based on our audit, we further report that

A. Balance Sheet

A.1 Assets

1.1 Current Assets, Loans, Advances – Rs. 8331.94 lakh

(a) Rule 20(9) of Biological Diversity Rules provided for earmarking of 5 percent (Rs. 535.69 lakh) of the amount accumulated in the Fund towards administrative and service charges. Out of this, NBA already transferred an amount of Rs. 187.76 lakh. For the remaining amount of Rs. 347.93 lakh, a provision was made in the fund account. This amount, however, was not depicted as receivable in the Authority Account under Current Assets. This resulted in understatement of Current Assets to the extent of Rs.347.93 lakh and understatement of income under Authority Accounts to the same extent.

B. Income and Expenditure Account

B.1 Expenditure -Rs. 1388.30 lakh

(a) During 2020-21, NBA opened a separate account namely 'NB Fund-Admin Account' by partially transferring an amount due to NBA (5 percent of total accumulated under Fund account) from National Biodiversity Fund account and incurred expenditure of Rs. 168.91 lakh out of this fund. Any expenditure incurred out of specific fund account is to be accounted for in that specific fund only. NBA, however accounted for this expenditure under 'Authority Accounts' resulting in overstatement of Expenditure to the extent of Rs. 168.91 lakh and understatement of NB Fund-Admin Account.

B.2 Income – Rs. 1420.34 lakh.

(a) NBA during 2020-21 transferred an amount of Rs. 170.12 lakh from National Biodiversity Fund Account and opened a new account namely "Fund-Admin Account". This amount represented part of the amount of 5 percent of total accumulation of fund account provided for as administrative and service charges as per Rule 20(9) of biological Diversity Rules. Transaction (Receipts and Payments) pertain to a specific fund account are to be accounted for in that specific account only. NBA, however added Rs. 170.12 lakh to the Authority Account and depicted the same as income in the Income and Expenditure accounts.

This led to overstatement of income of Authority Accounts and understatement of Fund-Admin Account.

C. General

a. Dormant Accounts.

NBA in its Annual Accounts depicted two Savings Accounts namely NBA-UNEP GEF ABS and ASEAN-INDIA Co-Operation projects. These two accounts were opened by NBA for implementation of projects sponsored by UNEP-GEF and ASEAN-INDIA respectively. Both the projects were completed in December 2019 and June 2020 respectively.

NBA however had not refunded the unspent balance in these projects and also not closed the accounts so far. As the projects were already completed and no expenditure could be incurred after completion of the project, these accounts need to be closed forthwith.

D. Grants-in-aid

During the year 2020-21, NBA received Grants-in-aid of Rs. 1246.31 lakh. This included unspent balance of Rs. 166.31 lakh revalidated from previous year. NBA could utilize a sum of Rs. 1185.34 lakh leaving a balance of Rs.60.96 lakh as on March 2021.

E). Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the National Biodiversity Authority through Annexure-A for remedial/corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure I to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Biodiversity Authority, Chennai as at 31st March 2020 and

b. In so far as it relates Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: New Delhi

Date: 21/12/2021

Director General of Audit

(Environment and Scientific Departments)

Annexure-I to the Draft Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit

Internal Audit of NBA was conducted up to March 2019. As of March 2021, three reports and 19 paras were outstanding. Out of 19 paras, 4 paras pertain to the report for the period 2012-13 to 2016-17 and 3 paras pertain to the report for the period 2003-04 to 2008-09. Thus, 3 paras are pending for more than five years now for want of compliance from NBA.

2. Adequacy of Internal Control System

2.1 Audit noticed that functions of Drawing and Disbursing Officer and functions of pre-check and passing of payment was performed by the same official namely Accounts Officer. As a result, there was no separation of duties of Drawing and Disbursing Officer and internal audit functions

2.2 Assets Register

Balance sheet showed various kinds of assets worth Rs. 181. 32 lakh as of March 2021. NBA, however, did not maintain Assets Register in proper format. The closing balance of the Asset Register could not be tallied with the value of Assets shown in the Balance Sheet.

2.3 Non-receipt of utilization certificate.

NBA during the period 2005-06 to 2020-21 released 1176 grants amounting to Rs.8447.12 lakh to various State Bio-Diversity Boards and other Organizations. As of March 2021, Utilization Certificates were received only in respect of 1001 grants amounting to Rs. 6543.99 lakh. Utilization Certificates for 175 grants amounting to Rs.1903.14 Lakh were not received as of March 2021

3. System of Physical Verification of Fixed assets

NBA conducted physical verification of assets and in the process identified 155 items of assets as surplus, obsolete and unserviceable. The purchase value of these item worked out to be Rs. 38.05 lakh. These items, however, were not disposed by NBA. The assets so identified were therefore lying idle occupying valuable space. The salvage value of these items also being eroded day by day.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory was carried out for the year 2020-21.

5. Regularity in payment of statutory dues

Test check revealed no outstanding statutory dues with NBA as of March 2021.

Director (EA)

9

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

SANJAY KUMAR JHA
DIRECTOR GENERAL

DGA (ESD)/EA/142/SAR/NBA/2021-22 1767
Dated : 21 DEC 2021

Dear Dr. Mathur,

We have audited the annual accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year 2020-21 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated 21.12.21 During the course of audit, some deficiencies were noticed as per annexure- A which are of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the audit report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

With warm regards.

Yours sincerely,

Encl : As above

Dr. V. B. Mathur,
Chairman,
National Biodiversity Authority,
5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR, Road, Taramani,
Chennai - 600 113

Annexure -A

1. Assets – Rs. 8513.26 lakh.

In the Balance Sheet, NBA included value of Building as Rs. 100 lakh and value of Work-in-Progress as Rs. 38.29 lakh. While Rs.100 lakh represented an advance payment made for acquiring office building, the amount of Rs. 38.29 lakh represented a milestone payment made to a firm for the work which was in progress. Audit also noticed that details of these payments were not included in Schedule – 8- 'Fixed Assets' as "Work-in-Progress". Depiction of value of advances and the value of Work-in-Progress directly as 'Assets' in the Balance Sheet led to overstatement of Assets to the extent of Rs.138.29 lakh as well as understatement of Work-in-Progress (Schedule – 8) to the same extent.

Director(EA)

12/12

एनबीए के बारे में

भारत का जैविक विविधता अधिनियम (2002) लागू करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना 2003 में की गई थी। एनबीए एक वैधानिक, स्वायत्त निकाय है और यह भारत सरकार के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण के लिए सुविधा, विनियामक और सलाहकार का कार्य करता है।

जैव विविधता अधिनियम (2002) में जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के समान साझाकरण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने पर केंद्रित एनबीए के साथ विकेंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से अधिनियम का कार्यान्वयन अनिवार्य है और धारा 37 की उप–धारा (1) के तहत धरोहर स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन में राज्य सरकारों को सलाह देना और ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंधन के लिए उपाय करना शामिल है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस प्रकार की सलाह जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों के समकक्ष साझाकरण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा–निर्देश के अधीन होती है।

एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव–सर्वेक्षण और जैव–उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोधों को प्रदान करके विनियमित भी करता है। स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी) जैविक संरक्षण के संवर्धन, स्थायी उपयोग और प्रलेखन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें निवासों का संरक्षण, भूमि की किस्मों, लोक किस्मों और खेती का संरक्षण, पालतू पशुओं का स्टॉक और नस्लें और जानवरों और सूक्ष्मजीवों के ज्ञान से जैविक विविधता के लिए संबंधित ज्ञान शामिल है।

चेन्नई, तमिलनाडु में अपने मुख्यालय के साथ एनबीए एक ऐसे ढांचे के माध्यम से अपना अधिदेश देता है जिसमें प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियां शामिल हैं। एनबीए ने अपनी स्थापना के बाद से 29 राज्यों में एसबीबी के निर्माण का समर्थन किया है और स्थानीय स्तर पर 249098 बीएमसी की स्थापना की सुविधा प्रदान की है।

पत्राचार के लिये पता

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

5वीं मंजिल, टाइसल बायो पार्क,
सीएसआईआर रोड, तरमणि, चेन्नई–600113
दूरभाष:91–44–22542777 फैक्स:91–44–22541200
ईमेल:secretary@nba-nic-in / admin@nba.nic.in